


75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2020-21



निर्यात निरीक्षण परिषद् EXPORT INSPECTION COUNCIL

(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित)

(Including its Export Inspection Agencies)

दिल्ली □ मुंबई □ कोलकाता □ कोच्ची □ चेन्नई

DELHI □ MUMBAI □ KOLKATA □ KOCHI □ CHENNAI



2020-2021
वार्षिक प्रतिवेदन
निर्यात निरीक्षण परिषद
(निर्यात निरीक्षण अभिकरणों सहित)
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/कोच्ची

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
निदेशक की कलम से	5-6
अध्याय 1 अवलोकन	7-13
अध्याय 2 गतिविधियों एवं उपलब्धियों की एक झलक	15-19
अध्याय 3 निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएँ	21-24
अध्याय 4 मूलस्थान प्रमाण पत्र	25-28
अध्याय 5 अन्य प्रमुख गतिविधियाँ	29-40
अध्याय 6 राजभाषा हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग	41
अध्याय 7 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	43
अध्याय 8 जनशक्ति वृद्धि	45-50
अध्याय 9 निर्यात निरीक्षण अभिकरणों का नेटवर्क	51-55

निदेशक की कलम से

दुनिया भर में भारत से सुरक्षित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए निनिप की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करने तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) के वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष के दौरान, अब तक के सबसे बड़े संकटों में से एक महामारी-कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) को पूरी दुनिया ने देखा। इस रोग ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों के लिए एक असाधारण चुनौती दी।



महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक व्यवधान विनाशकारी था। दुनिया की वैश्विक आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका में लाखों उद्यमों को एक अस्तित्वगत खतरे तथा व्यवधान का सामना करना पड़ा। महामारी ने पूरी खाद्य प्रणाली को प्रभावित किया है। सीमा बंद व्यापार प्रतिबंध एवं प्रतिरोध के उपायों ने किसानों को आदानों को खरीदने, अपनी उपज बेचने सहित बाजारों तक की पहुंच को रोक दिया तथा कृषि श्रमिकों को फसलों की कटाई से रोकने से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने एवं स्वस्थ, सुरक्षित एवं विविध खाद्यों तक की पहुंच को कम किया।

महामारी के इन कठिन समय में, निनिप ने एक बार फिर से भारत से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के निर्यात को बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे केवल भारत के निर्यात बिरादरी के बीच में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ व्यापार सूत्रधार एवं सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में इसकी विश्वसनीयता स्थापित की। माननीय प्रधानमंत्री के "संकट को अवसर में बदलने" के विचार के अनुरूप, भारत के लिए सुचारु निर्यात सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान निनिप/निनिअ द्वारा कई सुधार किए गए। निर्यातकों को प्रमाणपत्र के लिए अपना अनुरोध ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। निर्यातकों को घर पर रहने तथा निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्कैन प्रतियां ई-मेल के माध्यम से प्रदान की गईं। अंतरराष्ट्रीय कूरियर सेवाओं के अभाव में, निनिप ने आयातक देशों से स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की सॉफ्ट कॉपी स्वीकार करने तथा हार्ड कॉपी पर जोर न देने का अनुरोध किया। ऑनलाइन परेषणों की निकासी सुविधा के लिए मूलस्थान प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए गए थे। निनिप/निनिअ ने निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वेबिनार एवं वर्चुअल बैठकों के माध्यम से हितधारकों को प्रवृत्त कराया। यह केवल निनिप एवं उसके कर्मचारियों के 'राष्ट्र पहले आता है' दृष्टिकोण के कारण ही संभव हो सका है।

वर्ष 2020-21 में महामारी के कारण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध भी देखा गया। हालांकि, यह निनिप को क्षमता निर्माण एवं कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन से नहीं रोक सका। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों एवं आउटरीच कार्यक्रमों ने निनिप को खाद्य एवं खाद्य प्रौद्योगिकी की विश्वव्यापी प्रगति के संदर्भ में बराबरी पर लाने में मदद की है। इस वर्ष निनिअ-मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी-एफएसएएन) की पहली वर्षगांठ मनाई गई। यह सुविधा खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) एवं निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, साथ ही प्रयोगशाला कर्मियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण का अनुभव भी प्रदान कर रही है।

निनिप अपने निनिअ एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ, भारत भर में सभी संबंधित हितधारकों को आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता जागरूकता पहल के माध्यम से केवल निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करके ही नहीं बल्कि निर्यातकों के बीच स्वामित्व मूल्यों को विकसित करके भी पूरे भारत में सभी संबंधित हितधारकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करना जारी रखती है। इसी कारण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्यात के लिए निनिप के प्रमाणन को यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कस्टम यूनिन, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, भूटान, तुर्की, कोरिया, जापान, श्रीलंका, आदि सहित कई व्यापारिक भागीदारों द्वारा मान्यता दी जा रही है।

जैसे ही हम 2021–22 में प्रवेश करते हैं, मैं गुणवत्ता एवं सुरक्षित उत्पाद प्रदान करने के लिए सबसे पसंदीदा एवं भरोसेमंद भागीदार के रूप में निनिप को वैश्विक प्रतिमान मान्यता प्रदान करने में एक और सभी द्वारा किए गए प्रयासों को रिकॉर्ड करने का अवसर लेना चाहता हूँ। मैं निनिप परिवार, व्यापारिक भागीदारों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, निर्यात बिरादरी के सदस्यों एवं अन्य लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने वैश्विक महामारी के इस कठिन समय में अपना समर्थन दिया। हम निर्यात व्यापार में किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए सभी से अधिक सहयोग एवं अधिक मजबूत प्रयासों की आशा करते हैं।

आप सभी को शुभकामनाएं !! स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें !!

जय हिन्द

दिवाकर नाथ मिश्रा
संयुक्त सचिव एवं निदेशक, निनिप

भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) की स्थापना गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सुदृढ विकास सुनिश्चित करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। निनिप, निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और/या निरीक्षण के अधीन अधिसूचित उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करने तथा उत्पादों पर लागू होने वाले गुणवत्ता नियंत्रण एवं/या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए उत्पादों की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है।

निनिप भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय होने के साथ-साथ अधिसूचित उत्पादों के सक्षम प्राधिकारी है। निनिप की प्रमुख भूमिका आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात के लिए निर्धारित उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। यह आश्वासन अपने क्षेत्रीय अभिकरणों के माध्यम से परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली एवं/या खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) मुंबई, कोलकाता, कोच्ची, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं, जिनके साथ पूरे भारत में आईएसओ 17025 के अनुसार, परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं सहित 24 उप कार्यालयों का नेटवर्क है।

निनिप, विभिन्न खाद्य उत्पादों अर्थात्, मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, शहद, अंडा उत्पाद,

प्रशीतित/ शीतित मांस एवं मांस उत्पाद, ताजा कुक्कुट एवं कुक्कुट मांस उत्पाद, एनिमल केसिंग, कुचली हुई हड्डियाँ, ओस्सीन एवं जिलेटिन, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया) तथा बासमती चावल (ईयू) के लिए अनिवार्य प्रमाणन प्रदान करती है। अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें भी स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणीकरण निनिअ के माध्यम से किया जाता है और यह जीएचपी/जीएमपी/एचएसीसीपी सहित एक प्रणाली दृष्टिकोण पर आधारित है और साथ ही आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित है। आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य उत्पादों के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, निनिप को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, निनिप ने दुनिया भर के व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को बदल दिया है। बढ़ती खाद्य सुरक्षा के वास्ते और तकनीकी उन्नयन के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों को शामिल करने में निनिप का योगदान रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं एवं बढ़ती मांगों के साथ खाद्य का वैश्विक व्यापार काफी बढ़ रहा है। वैश्विक खाद्य व्यापार में गैर-प्रशुल्क उपायों से उत्पन्न इन चुनौतियों को दूर करने के लिए स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं तंत्र विकसित करने

की आवश्यकता है। निनिप तुल्यता एवं मान्यता के सभी संभावित अवसरों के दोहन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयात करने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडल आधिकारिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का मूल्यांकन करते हैं। इस वर्ष भूटान कृषि एवं खाद्य नियामक प्राधिकरण (बाफ्रा); पशु चिकित्सा सेवा विभाग (डीवीएस) तथा इस्लामी विकास विभाग मलेशिया (जाकिम), मलेशिया; चीन जनवादी गणराज्य के सीमा शुल्क का सामान्य प्रशासन (जीएसीसी); स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय (एमएचएलडब्ल्यू) जापान; खाद्य एवं औषधि सुरक्षा मंत्रालय (एमएफडीएस) कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है एवं निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन में निनिप के आधिकारिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है।

निनिप हमेशा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करती है कि निर्यातकों के हित भली भांती सुरक्षित हैं। निनिप ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

नागरिक चार्टर

दृष्टिकोण

- अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता एवं सुरक्षा को प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय एवं कुशल निरीक्षण एवं प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाना तथा भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक पहचान अर्जित करना ;

मिशन

- विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण एवं प्रमाणन कार्ययोजना बनाना ;
- भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक भागीदारों

के नियामक प्राधिकरणों में विश्वास पैदा करना;


- अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना;
- तुल्यता समझौतों के माध्यम से भारत के व्यापारिक भागीदारों से निनिप की निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना; अंतरराष्ट्रीय मंच में भाग लेना तथा भारतीय हितों की रक्षा करना;
- अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता बढ़ाना तथा नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखना;

अहमियत

- हम जनता के साथ अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठा, विवेकपूर्णता, पारदर्शिता, जवाबदेही, शिष्टाचार एवं समझ के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शक्ति

- दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, लदान पूर्व निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में पांच दशकों से अधिक का अनुभव;
- निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम, कुशल, योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति;
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में अधिसूचित उत्पादों के परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिए निनिप नेटवर्क में परिव्याप्त आईएसओ 17025 के अनुसार अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं;
- पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र के साथ, युक्तिपूर्वक रूप से सभी प्रमुख बंदरगाहों, महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं उत्पादन केंद्रों पर स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) का एक मजबूत नेटवर्क;
- करार ज्ञापनों, समकक्ष समझौतों आदि के माध्यम से वैश्विक मान्यता के साथ भारत के हितों एवं आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय के किसी भी टकराव के बिना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत सांविधिक शक्तियों द्वारा समर्थित एक संगठन



टिप्पणी:

- नीले रंग से दर्शाए गए उप-कार्यालयों में प्रयोगशाला की सुविधा है और ग्रे में बिना प्रयोगशाला की सुविधा है।
- निनिअ के डेस्क कार्यालय अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों में हैं।

निनिप की प्रमुख गतिविधियां:

- आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों का अनुमोदन ;
- निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) के आधार पर लदान पूर्व निरीक्षण एवं प्रमाणन;
- विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करना;
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अर्थात् स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, प्रामाणिकता प्रमाण पत्र, गैर-जीएमओ प्रमाण पत्र, आदि जारी करना;
- निरीक्षण अभिकरणों और प्रयोगशालाओं की मान्यता;
- आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं;
- खाद्य उत्पादों के आयात परेषण से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं तथा परीक्षण के लिए एफएसएसआई के साथ सहयोग;
- गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योग एवं अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण;
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना का मॉनिटरिंग एवं भारत के व्यापार पर उनका प्रभाव।

परिषद सदस्य

केंद्र सरकार ने अधिसूचना एस.ओ.3379 (ई) – दिनांक 29.9.2020 के अनुसार, निर्यात निरीक्षण परिषद का पुनर्गठन किया, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री एस. किशोर, आईएएस (डब्ल्यूबी:1989), अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	निदेशक, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य सचिव
3	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
4	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य पदेन
5	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कोलकाता	सदस्य पदेन
6	निदेशक (निर्यात निरीक्षण) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
अन्य सदस्य		
7	संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
8	अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
9	अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि	सदस्य
10	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड, कोच्चि	सदस्य
11	संयुक्त सचिव, मांस और मांस उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	सदस्य
12	संयुक्त सचिव, पौध संरक्षण, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13	मुख्य कार्यकार अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएल हाउस, प्लॉट 45, गुरुग्राम, हरियाणा	सदस्य
14	सलाहकार (मानदंड), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोडबाल भवन के पास, नई दिल्ली-110002	सदस्य
15	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	सदस्य
16	अध्यक्ष, अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ, नई दिल्ली	सदस्य
17	कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, प्लॉट 97, सेक्टर 56, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	सदस्य
18	मैसर्स मिनरल लैब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, 4 फ्लोर, कर्मा पेस एवेन्यू, एफ.एल. गोमस रोड, वास्को डी गामा-गोवा 403802 के नामित सदस्य	सदस्य
19	मैसर्स मित्रा लिमिटेड, होल्डिंग नं. 22/107, वार्ड नंबर 9, पी.ओ. खानकांचक, पहली मंजिल, इंडिया होटल के बगल में, हल्दिया- जिला, पूर्वा मेदिनीपुर, परिश्चम बंगाल-721602 के नामित सदस्य	सदस्य
20	मैसर्स थैरेपेटिक्स कैमिकल रिसर्च कॉरपोरेशन, डी सं. 25-12-39, द्वितीय तल, गोदावरी स्ट्रीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, टाउन ब्रांच, विशाखापत्तनम-530001 के नामित सदस्य	सदस्य

अधिसूचित उत्पादों की सूची

भारत से व्यापार की सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं के आधार पर निर्यात के लिए उनके मानकों के साथ-साथ उत्पादों को अधिसूचित करने के लिए, निर्यात (गुणवत्ता

नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 परिषद की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न उत्पादों को नीचे तालिका (क) में दर्शाया गया है:

तालिका (क): निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित उत्पाद

अधिसूचित उत्पाद	राजपत्रित आदेश)/अधिसूचनाएं)/आदेश)
पशु केसिंग	आदेश एस.ओ. 2947 दिनांक 03.11.1997 और अधिसूचना एस.ओ. 2948 दिनांक 03.11.1997 बाद में संशोधित अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) दिनांक 08.6.2012 अधिसूचना एस.ओ. 6332 (ई) दिनांक 28.11.2018
बासमती चावल	आदेश एस.ओ. 67 (ई) दिनांक 23.01.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 68(ई) दिनांक 23.01.2003 और बाद के संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 1139 दिनांक 15.5.2004, अधिसूचना एस.ओ. 716 दिनांक 05.3.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 791 (ई) दिनांक 24.5.2006 एस.ओ. 136 (ई) दिनांक 13.01.2016 अधिसूचना एस.ओ. 6337 (ई) दिनांक 28.11.2018
काली मिर्च	आदेश एस.ओ. 245 दिनांक 07.3.1988 और अधिसूचना एस.ओ. 1311 दिनांक 22.4.1991 अधिसूचना एस.ओ. 6333 (ई) दिनांक 28.11.2018
संदलित हड्डी, ओसीन एवं जिलेटिन	आदेश एस.ओ. 725 (ई) दिनांक 03.4.2012 और अधिसूचना एस.ओ. 726 (ई) दिनांक 03.4. 2012.
अंडा उत्पाद	आदेश एस.ओ.2077 दिनांक 04.08.1997 तथा अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 और बाद में संशोधन आदेश एस.ओ.1442 (ई) दिनांक 19.12.2003 और अधिसूचना एस.ओ. 1443(ई) दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना का. आ.721 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ. 1516 दिनांक 16.06.2008 अधिसूचना एस.ओ.1952(ई) दिनांक 22.8.2012 अधिसूचना एस.ओ. 6340(ई) दिनांक 28.11.2018.
पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण	आदेश एस.ओ.3523(ई) एवं अधिसूचना एस.ओ. 3524 दोनों दिनांक 28.11.2013। अधिसूचना एस.ओ. 6339(ई) दिनांक 28.11.2018
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	आदेश 729 (ई) दिनांक 21.8.1995 बाद में संशोधन आदेश एस.ओ. 792 (ई) दिनांक 17.8.2001, आदेश एस.ओ. 722 (ई) दिनांक 10.7.2002, आदेश एस.ओ. 464 (ई) दिनांक 24.4.2003, आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 23.10.2003 और बाद में आदेश एस.ओ. 1227 (ई) दिनांक 31.7.2006 द्वारा संशोधन (ओं) के और मुख्य अधिसूचना एस.ओ. 730 (ई) दिनांक 21.8.1995 और बाद में अधिसूचना एस.ओ.415 (ई) दिनांक 11.4.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1029 (ई) दिनांक 24.9.2002, अधिसूचना एस.ओ. 1034 (ई) दिनांक 9.9.2003 और अधिसूचना एस. ओ. 717 दिनांक 25.2.2005, अधिसूचना एस.ओ. 612 दिनांक 15.02.2007, अधिसूचना एस.ओ. 1519 (ई) दिनांक 16.6.2008, अधिसूचना एस.ओ. 2714 (ई) दिनांक 28.10,2009, अधिसूचना एस.ओ.143 (ई) दिनांक 21.01.2011 और अधिसूचना एस.ओ. 497 (ई) दिनांक 10.3.2011 अधिसूचना का.आ. 6341 (ई) दिनांक 28.11.2018

ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पाद	आदेश एस.ओ. 1377 (ई) दिनांक 30.12.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 1378 (ई) दिनांक 30.12.2002 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 719 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना एस.ओ.1517 दिनांक 16.6.2008 के अनुसार संशोधन
फल एवं सब्जी उत्पाद	आदेश एस.ओ.3352(ई) और एस.ओ.3353(ई) दोनों दिनांक 28.10.2016 अधिसूचना का.आ. 6338(ई) दिनांक 28.11.2018
शहद	आदेश सं.एस.ओ. 276 (ई) दिनांक 04.03.2002 और अधिसूचना एस.ओ. 277 (ई) दिनांक 04.03.2002 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 1444 दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना एस.ओ. 1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना एस.ओ. 1581 दिनांक 16.06.2008 द्वारा संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 6336 (ई) दिनांक 28.11.2018
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	आदेश एस.ओ. 4031(ई) और अधिसूचना एस.ओ. 4032(ई) दोनों दिनांक 09 नवंबर, 2020
मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद	वाणिज्य विभाग का पत्र दिनांक 16 मई 2013
कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित)	आदेश एस.ओ. 203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना एस.ओ. 204 दिनांक 15.01.1993 और बाद में अधिसूचना एस.ओ. 205 दिनांक 25.01.1993, अधिसूचना एस.ओ.1989 दिनांक 03.9.1993 और एस.ओ. 2221 दिनांक 04.10.1993 द्वारा संशोधन अधिसूचना एस.ओ. 6335 (ई) दिनांक 28.11.2018
गैर बासमती चावल	डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 29/2015-2020 दिनांक 04.11.2019

विभिन्न देशों के साथ निनिप प्रमाणन के करार/मान्यताएं

निनिप, इसकी स्थापना के बाद से आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निनिप की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियाँ भारतीय निर्यात के लिए दुनिया भर में पहुंच को सुविधाजनक बनाने एवं भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ आयातक देशों के प्राधिकारियों में विश्वास जगाने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

आवश्यकताओं के अनुरूप, निनिप प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ करार ज्ञापन (एमओयू)/आपसी मान्यता करार (एमआरए)/समतुल्यता करार/मान्यताएं/सहयोग व्यवस्थाएं प्राप्त करने का प्रयास जारी रखती है। ये व्यवस्थाएं आयातक देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा निनिप के प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती हैं और एकाधिक बॉर्डर निरीक्षण से बचने में सुविधा प्रदान करती हैं।

मौजूदा समतुल्यता करारों/मान्यताओं/प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सहयोग का विवरण सूचीबद्ध है

तालिका (ख): तुल्यता करार/मान्यताएं/सहयोग व्यवस्थाएं

देश	अन्तर्निहित उत्पाद	करार/मान्यता का वर्ष
यूएसए (यूएसएफडीए)	काली मिर्च गोपनीयता प्रतिबद्धता	1988-2016

यूरोपीय आयोग	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, बासमती चावल, पशु केंसिंग, शहद, संदलित हड्डियां, ओसीन एवं जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद, पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण, मसाले (कैप्सिकम एवं करी पत्ते सभी रूपों में)	1997 से आगे
कोरिया	प्रशीतित समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत मसाले के सामान, प्रसंस्कृत नट्स, चाय, शहद, जैम, संरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा	2004
तुर्की	खाद्य उत्पाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्री एवं स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्रीलंका	श्रीलंका की आयात निरीक्षण योजना के तहत 85 उत्पाद अर्थात् दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, पैकेज्ड पानी, संरक्षित खाद्य, प्रसाधन, साइकिल टायर एवं ट्यूब, स्टील सेक्शन एवं तार, बिजली के सामान, पीवीसी केबल, कॉर्ड आदि	2005
सिंगापुर	खाद्य एवं कृषि (अंडा उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	2005
जापान	कुक्कुट एवं समुद्री उत्पाद	2005
रूसी संघ कस्टम यूनियन	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद दुग्ध उत्पाद	2009 2016
सऊदी अरब	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	2009
चीन	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद फीड एवं फीड सामग्री रेपसीड मील मत्स्य खाद्य एवं मत्स्य तेल	2012 2013 2015 2018 2019
भूटान	खाद्य और कृषि उपज	2013
नीदरलैंड	सामान्य खाद्य सुरक्षा	2019

निनिप ने अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए बढ़े हुए अवसर प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ व्यापार करने में आसानी और डिजिटल भारत पर भारत सरकार द्वारा की गई पहल को पूरा करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ अपने संसाधनों एवं सेवा की गुणवत्ता को बदल दिया है। निनिप अन्य हितधारकों, जैसे प्रचार बोर्ड, निर्यातकों, आयात करने वाले

देशों के प्राधिकरणों, उद्योग संघों, बुनियादी ढांचे के निर्माण में वाणिज्य मंडलों, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। निनिप विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित किसी भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी स्वयं की दक्षताओं को विकसित करने में सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।

भारत सरकार के सलाहकार निकाय, निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) ने सफलतापूर्वक राष्ट्र को पांच दशकों से अधिक की सेवा प्रदान की है। सशक्त नेतृत्व का साझा प्रयास, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित कर्मचारी गण तथा सभी संबंधित हितधारकों का समर्थन प्रमुख उपलब्धियां हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

(क) व्यापार सहयोगी निनिप प्रमाणन में विश्वास दिखाना जारी रखते हैं

भूटान कृषि एवं खाद्य नियामक प्राधिकरण (बाफ्रा) भूटान ने नवंबर 2020 से सुअर का मांस तथा सुअर के मांस उत्पाद के लिए निनिप प्रमाणपत्र की आवश्यकता अनिवार्य कर दी है।

भारत से जापान को निर्यात व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए, निनिप और स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान (एमएचएलडब्ल्यू) ने आयात करने वाले देश की आवश्यकता के अनुसार 01 अक्टूबर 2020 से दुग्ध उत्पादों के लिए नए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रारूप पर सहमति व्यक्त की है।

(ख) कनाडा की आवश्यकताओं के अनुसार सोयाबीन भोजन का निर्यात

भारत में अफ्रीकी स्वाइन-बुखार रोग की रिपोर्ट की गई घटनाओं पर, कनाडा के अधिकारियों ने अफ्रीकी स्वाइन-पलू वायरस के साथ भारतीय सोयाबीन के संभावित संदूषण पर चिंता व्यक्त की। 31 जुलाई 2020 से प्रमाण पत्र के साथ एक प्रश्नावली के समर्थन द्वारा निनिप के समय पर हस्तक्षेप से कनाडा को भारतीय सोयाबीन मील के सुचारु निर्यात में मदद मिली।

2.2 व्यापार सुविधा तथा बाजार पहुंच

क) दक्षिण कोरिया को खाद्य उत्पादों का निर्यात

निनिप ने दक्षिण कोरिया को खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यातकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समय सीमा पांच से सात दिनों से एक दिन तक कम हो गया।

ख) दक्षिण कोरिया को कोलेजन एवं जिलेटिन के निर्यात के लिए पशु चिकित्सा

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

दक्षिण कोरिया को कोलेजन एवं जिलेटिन के सुचारु निर्यात की सुविधा के लिए पशु एवं पादप संगरोध अभिकरण (एपीक्यूए), कोरिया के साथ पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया है। नए प्रारूप के लिए लागू तिथि 29 मार्च 2021 होगी।

ग) डीजीएलएचएस द्वारा निर्यात प्रतिष्ठानों की डेस्क समीक्षा

2020-21 में, निनिप ने पशुधन एवं पशु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएलएचएस), कृषि मंत्रालय, इंडोनेशिया (24-25 फरवरी 2021 के दौरान) के साथ लगी रही तथा वे पांच डेयरी तथा एक जिलेटिन निर्यात प्रतिष्ठानों की डेस्क समीक्षा के लिए सहमत हुए, जो अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाएगी।

घ) रूसी संघ को दुग्ध उत्पादों का निर्यात

रूसी संघ को दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए निनिप ने पशु चिकित्सा एवं पादप स्वच्छता निगरानी (एफएसवीपीएस) के लिए संघीय सेवा के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में, भारत के दूतावास, मॉस्को द्वारा यह समझा

गया है कि कजाकिस्तान को छोड़कर चार देश मॉडल पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र के लिए सहमत हुए हैं एवं सभी सदस्यों को बाजार पहुंच देने से पहले सहमत होने की आवश्यकता है। तदनुसार, निनिप ने कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास के माध्यम से इस मामले को कजाकिस्तान के साथ उठाया है। एक बार ईएईयू के सभी सदस्यों द्वारा इस पर सहमति हो जाने के बाद, ईएईयू को दुग्ध उत्पादों का निर्यात संभव हो सकता है।

ड.) वियतनाम में मात्स्यकी उत्पादों की बाजार पहुंच

2020-21 में, वाणिज्य विभाग के माध्यम से निनिप ने वियतनाम के साथ मत्स्य खाद्य, मत्स्य तेल, मत्स्य घुलनशील पेस्ट तथा मत्स्य घुलनशील पाउडर के निर्यात के लिए बाजार तक पहुंच का मामला उठाया है।

2.3 क्षमता निर्माण

मानव संसाधन निनिप के लिए सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। सभी संबंधित हितधारकों के कौशल तथा ज्ञान को विकसित करने के लिए सुनियोजित आवधिक क्षमता निर्माण पहल की गई है। निनिप/निनिअ अधिकारियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चल रहे घटनाक्रम से परिचित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निनिप/निनिअ द्वारा पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, अन्य हितधारकों द्वारा समन्वित विभिन्न कार्यक्रमों में निनिप/निनिअ अधिकारियों को विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए, निनिप समय-समय पर कई पहल करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके हितधारकों एवं निर्यातक बिरादरी नियामक आवश्यकताओं के बारे में उपयुक्त रूप से अवगत हैं। भारत भर में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, निनिप वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "मानक

सम्मेलन" के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है।

निनिप ने सीएफआईए एवं एपीडा के साथ संयुक्त कार्यशालाओं का आयोजन किया

कनाडा की आवश्यकताओं को समझने के लिए भारतीय निर्यातकों के लाभों के लिए कनाडाई खाद्य निरीक्षण अभिकरण (सीएफआईए), निनिप एवं एपीडा ने संयुक्त सहयोग से दो आभासी कार्यशालाओं यानी 1 दिसंबर 2020 को खाद्य निर्यात: विनियामक तथा सुरक्षा मानकों की बोधगम्यता एवं 5 मार्च 2021 को "खाद्य निर्यात : एलर्जन लेबलिंग आवश्यकताएँ", पर दो आभासी कार्यशालाओं का आयोजन किया। कनाडाई अभिकरणों के तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को कनाडा की एलर्जन लेबलिंग आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इससे निर्यातकों को कनाडाई एलर्जन लेबलिंग आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी जो इस मामले पर अस्वीकृति



श्री. दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय एवं निदेशक, निनिप 05.03.2021 को सीएफआईए-निनिप-एपीडा संयुक्त वर्चुअल कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

2.4 कोडेक्स गतिविधियां:


निनिप, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आवश्यकताओं में वैश्विक परिवर्तनों के बारे में खुद को समझने तथा अपने जनादेश से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के अपने प्रयास के एक भाग के रूप में, वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित कोडेक्स बैठकों/गतिविधियों में भाग लिया है:

- भारतीय उद्योग परिसंघ, खाद्य एवं कृषि उत्कृष्टता (सीआईआई – एफएसीई) द्वारा 27-29 मई 2020 के दौरान (i) कोडेक्स एलिमेंटेरियस का परिचय (ii)

विश्लेषण एवं नमूनाकरण के तरीकों पर कोडेक्स समिति का अवलोकन (iii) खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति का अवलोकन विषयों पर कोडेक्स पर तीन वेबिनार।

- 4 जून 2020 को सीसीएएसआईए टेलीकांफ्रेंस।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा 29 जून-01 जुलाई 2020 के दौरान (i) विशेष आहार उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति (सीसीएनएफएसडीयू) (ii) खाद्य पदार्थों में पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेषों पर कोडेक्स समिति (सीसीआरवीडीएफ) और खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली (सीसीएफआईसीएस) पर कोडेक्स समिति, विषयों पर तीन वेबिनार।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सी एसी) का 43 वां सत्र वस्तुतः 24-26 सितंबर, 12 और 19 अक्टूबर 2020 के दौरान आयोजित किया गया।
- कोडेक्स कमेटी ऑन मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सैंपलिंग (सीसीएमएस) और कोडेक्स सचिवालय द्वारा सीसीएमएस में चल रहे कार्य की स्थिति पर अद्यतन प्रदान करने के साथ-साथ मानक विकास संगठनों (एसडीओ) द्वारा कार्य पर जानकारी प्रदान करने के लिए 23-25 नवंबर 2020 तक कई वेबिनार।
- सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति (सीसीजीपी) का 32वां सत्र वस्तुतः 8, 9, 11, 12, 15 और 17 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया।
- स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष आश्वासन (वीटीपीए) के मूल्यांकन एवं उपयोग के लिए मसौदा सिद्धांतों एवं दिशानिर्देशों पर सिस्टम समकक्षता तथा 25 मार्च 2021 से संबंधित दिशानिर्देशों पर खाद्य आयात एवं निर्यात प्रमाणन तथा निरीक्षण प्रणाली (सी सी एफ आई सी एस 25) पर, 23 मार्च 2021 को आयोजित कोडेक्स समिति के 25वें सत्र के लिए पूर्व सत्र बैठक।

- उपरोक्त के अलावा, निनिप/निनिअ के अधिकारियों ने विभिन्न कोडेक्स समितियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों (ईडब्ल्यूजी) तथा कोडेक्स समन्वय समूह (सीसीजी) की बैठकों में भाग लिया।



फरवरी 2021 के दौरान सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति (सीसीजीपी) के 32वें सत्र में निनिप की भागीदारी



01 जुलाई 2020 को फिक्की द्वारा आयोजित खाद्य आयात एवं निर्यात निरीक्षण तथा प्रमाणन प्रणाली (सी सी एफ आई सी एस) पर कोडेक्स समिति पर वेबिनार में भागीदारी


2.5 अन्य कार्यक्रम एवं कार्यकलाप

वर्ष 2020-21 निनिप के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था जिसमें कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी कार्यक्रम पूरी भावना से तथा सभी कर्मचारियों की पूर्ण भागीदारी से आयोजित किए गए। कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन कोविड मानदंडों के पालन के साथ किया गया। निनिप/निनिअ ने वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यकलापों का आयोजन किया, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है;

तालिका (ग): राष्ट्रीय कार्यक्रम 2020-21

2020-21 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यकलाप का विवरण	छायाचित्र
1	आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई 2020 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, जिसमें सभी निनिअ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के दौरान शपथ ली गई।	
2	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून 2020 को निनिप/निनिअ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य, खुशी तथा सद्भाव के लिए योग के महत्व एवं लाभों पर बातचीत की गई। सत्र के दौरान सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने योग किया।	
3	हिंदी पखवाड़ा	निनिप/निनिअ में 14-28 सितंबर, 2020 तक "हिंदी दिवस / पखवाड़ा" मनाया गया। हिंदी कार्यशालाओं के लिए बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पणी, निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।	
4	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	27 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2020 के दौरान निनिप/निनिअ में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।	

5	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर 2020 को "राष्ट्रीय एकता दिवस/राष्ट्रीय एकता दिवस" आयोजन के दौरान निनिप/निनिअ में एक शपथ ली गई।	
6	स्वच्छता पखवाड़ा	01-15 नवंबर 2020 के दौरान निनिप/निनिअ में स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया गया। पखवाड़ा का विषय "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन" था। सप्ताह के दौरान स्वच्छता प्रतिज्ञा, बैनरों का प्रदर्शन, जागरूकता के लिए आउटरीच लीफलेट, कार्यालय परिसर की सफाई, स्वच्छता जागरूकता पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।	
7	सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और झंडा दिवस	19-25 नवंबर 2020 तक निनिप/निनिअ में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह आयोजित किया गया।	
8	26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस का आयोजन	भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन; निनिअ के अधिकारों को प्रस्तावना पठन प्रमाणपत्र	

निनिप मुख्य रूप से अपने अधिदेश के तहत उत्पादों के संबंध में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोणों का पालन करती है अर्थात् सिस्टम आधारित निरीक्षण एवं परेषण—वार निरीक्षण, जो नीचे विस्तृत हैं; —

क) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी)

एचएसीसीपी/जीएमपी/जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुरूप प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन के तहत अनुमोदित किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें आयातक देशों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक उत्पादन नियंत्रण एवं तैयार उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है। वर्तमान में, कई खाद्य उत्पादों में ऐसी प्रणालियों को बढ़ावा एवं कार्यान्वित किया जा रहा है। मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों, संदलित हड्डी, ओसीन एवं जिलेटिन के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों का निर्यात केवल इस प्रणाली के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों से ही किया जा सकता है। अन्य खाद्य उत्पादों, जैसे काली मिर्च, बासमती चावल, शहद आदि में भी आयातक देश की आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

एफएसएमएससी आधारित प्रमाणीकरण में, प्रसंस्करणकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए निर्धारित उत्पाद उत्पादन के सभी चरणों में संभाला/संसाधित किया जाता है, उचित स्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित एवं परिवहित किया जाता है ताकि नियमों के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा उत्पाद आदेश में वर्णित विनिर्देशों के अनुरूप हो। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, प्रतिष्ठानों को स्वयं जाँच प्रणाली की योजना बनाने, उसे लागू करने तथा अभिलेख रखने की आवश्यकता होती है। निनिअ को अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन सत्यापित करना आवश्यक है।

ख) परेषण—वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली:

परेषण—वार निरीक्षण प्रणाली के तहत, निर्यात परेषण का निनिअ द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकीय नमूना योजनाओं के अनुसार नमूने लिए जाते हैं तथा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादों की अनुरूपता को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार का निरीक्षण कुछ अधिसूचित उत्पादों, जैसे बासमती चावल, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, शहद, पोषण भोज्य एवं पूर्व—मिश्रण, फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए भी किया जाता है। परेषण—वार निरीक्षण को स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत भी पेश किया जाता है।

तालिका (घ): 31 मार्च 2021 तक निनिअ/निनिअ द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या

अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या						
एफएसएमएससी के तहत	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ कोच्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुंबई	कुल
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	26	75	7	0	53	161
शहद	0	17	0	0	0	17
अंडा उत्पाद	3	1	2	0	1	7
ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पाद	5	1	4	0	6	16
मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद	253	0	249	114	234	850
काली मिर्च	0	0	13	0	8	21
पशु केंसिंग	0	1	0	0	3	4
पोशण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण	6	6	2	1	8	23
बासमती चावल	0	33	0	0	1	34
फल उत्पाद	21	6	0	1	41	69
रेप सीड मील	0	1	0	0	3	4
स्वैच्छिक योजना	15	8	11	0	53	87
कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित)	0	0	0	0	1	1
सोयाबीन खाद्य	0	1	0	0	0	1
कुल	329	150	288	116	412	1,295

तालिका (ङ): निर्यात प्रमाणन

2020.21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रमाणन विवरण					
	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ कोच्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुंबई
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएससी) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	23,156	7,173	9,874	9,419	21,196
परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	2,164	2,828	112	262	3,973
गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र	353	2,945	1,192	0	2,601
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (वीसीएस) के तहत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र	511	2,290	16	0	9,334
तुर्की योजना के तहत जारी प्रमाण पत्र	108	229	55	0	326
प्रामाणिकता प्रमाण पत्र	0	876	0	0	187

3.1 मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

ताजा, प्रशीतित, प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पाद के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग) नियम, 1995 के तहत, समय-समय पर संशोधित राजपत्र अधिसूचना सं. 730 (ई) दिनांक 21 अगस्त, 1995 के तहत, मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पादों के अनिवार्य लदान पूर्व प्रमाणीकरण किया जा रहा है। निर्यात के लिए 2020-21 के दौरान अनुमोदित 850 मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पाद प्रसंस्करण प्रतिष्ठान हैं।

3.2 फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

फल एवं सब्जी उत्पादों के निर्यात से संबंधित आदेश एस.ओ.नंबर 3352 (ई) एवं अधिसूचना संख्या एस.ओ.3353 (ई) दोनों दिनांकित 28.10.2016, भारत के राजपत्र में दिनांक 31.10.2016 को प्रकाशित किए गए हैं। नए आदेश ने मूल आदेश एस.ओ.1420 दिनांक 13.05.1978 को अधिक्रमण किया है तथा फलों एवं सब्जियों के उत्पादों (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) के नियमों 2016 को अधिसूचना एस.ओ.3353 (ई) द्वारा फल उत्पादों के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1978 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त आदेश यह सूचित करता है कि फल एवं सब्जी उत्पाद उन मामलों में निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अधीन होंगे जहां आयात करने वाले देशों को इस तरह के निर्यात प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। निनिप अपने निनिअ के माध्यम से इस योजना को लागू कर रही है तथा 31 मार्च, 2021 तक इस योजना के तहत कुल 69 अनुमोदित प्रतिष्ठान हैं।

3.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 2013 में यूरोपीय संघ एवं मलेशिया को निर्यात के लिए मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों के लिए स्वास्थ्य

प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

3.4 अंडा उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप आदेश 2077 दिनांक 04.08.1997 तथा अधिसूचना एस.ओ. 2078 दिनांक 04.08.1997 के अनुसार अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए योजना लागू कर रही है। प्रतिष्ठानों को निनिअ द्वारा अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग किए जाते हैं। अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्य यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन आदि हैं। कई अन्य देश, जैसे, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि को निर्यात के लिए निनिप ने बाजार पहुंच का पता लगाने/परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए भी पहल की है। 31.03.2021 तक, कुल सात प्रतिष्ठानों को अंडा उत्पादों के लिए अनुमोदित किया गया है।

3.5 ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद के लिए प्रमाणन योजना

ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों के निर्यात को भारत सरकार के आदेश एवं अधिसूचना एस.ओ.1377(ई) तथा एस.ओ.1378(ई) दोनों दिनांक 30.12.2002 एवं आगे 31.03.2021 तक समय-समय पर संशोधित, द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया। 31.03.2021 तक, कुल 16 इकाइयों को निनिअ के तहत अनुमोदित किया गया है।

3.6 दुग्ध उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना

निनिप दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण नियंत्रण रखने वाली सक्षम प्राधिकारी है। इस योजना को आदेश एस.ओ.4031 (ई) तथा अधिसूचना एस.ओ.4032 (ई) दोनों दिनांक 09 नवंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में दुग्ध पाउडर, केसिन तथा इसके संजात, पनीर, मक्खन, डिब्बाबंद मिठाई, प्रशीतित पनीर, घी आदि शामिल हैं। निनिप ने रूस, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया तथा मैक्सिको को निर्यात के लिए बाजार पहुंच का मुद्दा उठाया है।

3.7 बासमती चावल के लिए प्रमाणन योजना

बासमती चावल के मूल आदेश एस.ओ.67 (ई) दिनांक 23 जनवरी, 2003 में संशोधन एस.ओ.136 (ई) दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया। 2020-21 तक कुल 34 बासमती चावल इकाइयों को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 33 निनिअ-दिल्ली के आधिकारिक नियंत्रण में हैं तथा एक निनिअ-मुंबई के तहत है।

3.8 शहद के लिए प्रमाणन योजना

निनिप शहद के निर्यात प्रमाणन के लिए एक योजना संचालित कर रही है। इस योजना को आदेश संख्या एस.ओ.276 (ई) दिनांक 04.03.2002 तथा अधिसूचना एस.ओ.277 (ई) दिनांक 04 मार्च, 2002 एवं समय-समय पर बाद में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया। एफएसएमएससी के तहत निनिप द्वारा अनुमोदित 17 शहद प्रसंस्करण इकाइयां हैं। वर्तमान में, भारत से शहद का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य गैर यूरोपीय संघ के गंतव्यों में सुचारु रूप से चल रहा है।

3.9 कच्चे मांस के लिए प्रमाणन योजना (शीतित / प्रशीतित)

कच्चे मांस (शीतित / प्रशीतित) के निर्यात को आदेश / अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 203 तथा एस.ओ. 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा निनिअ को निर्यात उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने वाले अभिकरणों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया। गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन प्रक्रिया के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणीकरण के तहत, कच्चे मांस का निर्यात (शीतित/प्रशीतित) (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1992, संशोधित किया गया है, जिसे अधिसूचना एस.ओ.3023 (ई) तथा एस.ओ.3024 के तहत प्रकाशित किया गया। निनिप मूल्यांकन टीम में भाग लेकर हितधारकों को तकनीकी सहायता प्रदान करती आ रही है।

3.10 निर्यात के लिए पोषण भोज्य और पूर्व मिश्रण के लिए प्रमाणन योजना

निनिप पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण के निर्यात के लिए आधिकारिक नियंत्रण रखने वाली सक्षम प्राधिकारी है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज एवं विटामिन की खुराक, बाइंडर, चिड़ियाघर तकनीकी योजक आदि शामिल हैं जो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात किए जाते हैं। पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण

का निर्यात जैसा कि समय-समय पर संशोधित आदेश संख्या 3523 (ई) द्वारा तथा अधिसूचना संख्या 3524 (ई) दिनांक 28 नवंबर, 2013 द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया है।

3.11 संदलित हड्डियों, ओसीन एवं जिलेटिन के निर्यात के लिए प्रमाणन योजना

भारत से संदलित हड्डियों, ओसेन तथा जिलेटिन के निर्यात की उच्चतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उत्पाद को दोनों 3 अप्रैल 2012 के आदेश एवं अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जिसे संदलित हड्डियों, ओसेन एवं जिलेटिन का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग) नियम, 2012 कहा जाता है। अधिसूचना के अनुसार, निनिप को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3.12 पशु केसिंग के लिए प्रमाणन योजना

निनिप को 8 जून 2012 की अधिसूचना एस.ओ.1315 (ई) के तहत पशु केसिंग के निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। पशु केसिंग का प्रमुख निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को होता है। निर्यात उद्देश्य के लिए तीन प्रतिष्ठानों को अनुमोदित किया गया। निर्यातक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3.13 स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारीकरण

कई आयातक देशों के नियामक प्राधिकरण/खरीदार कुछ खाद्य, फीड एवं खाद्य संपर्क सामग्री के निर्यात के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/निर्यात योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए जोर देते हैं जो निनिप अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं। आयात नियामक प्राधिकरणों की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा भारत से निर्यात की सुविधा के लिए, आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार निनिअ द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताओं में परेषण के लिए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है, जोकि आयात करने वाले देशों के नियामक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं/खरीदारों की आवश्यकताओं/प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। यह योजना निर्यातक को स्वयं नमूना लेने तथा उसका परीक्षण करने के लिए अधिकृत करती है जिससे निर्यात के लिए समयसीमा कम हो जाती है।

2017-18 में पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (रेक्स प्रणाली) की शुरुआत ने 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में सभी निनिअ एवं उप कार्यालयों में रेक्स पंजीकरण प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन को देखा। रेक्स स्व-प्रमाणन के सिद्धांत पर आधारित है, आर्थिक प्रचालक मूलस्थान के बारे में बयान देंगे। 2010 में मूलस्थान के जीएसपी नियमों में सुधार के संदर्भ में विनियम (ईयू) संख्या 1063/2010 दिनांक 18.11.2010 में संशोधन करके रेक्स प्रणाली को मूलस्थान के जीएसपी नियमों में पेश किया गया। जबकि सुधार के अन्य तत्व 1 जनवरी 2011 से प्रभावी हो गए हैं, जीएसपी लाभार्थी देशों को तैयार होने के लिए पर्याप्त समय देने के

लिए रेक्स प्रणाली के आवेदन को 1 जनवरी 2017 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य विभाग द्वारा रेक्स प्रणाली में निर्यातकों को पंजीकृत करने के लिए नामित 16 अन्य संगठनों में से एक सक्षम प्राधिकारी है। पूरे भारत में निर्यातकों या आर्थिक प्रचालकों के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, निनिअ ने निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न एफटीए के तहत कुल 3,80,717, मूलस्थान के अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी किए, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है।

तालिका (च): वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र

वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए मूलस्थान प्रमाण पत्र							
क्र.स.	योजना	निनिअ चेन्नई	निनिअ दिल्ली	निनिअ कोच्ची	निनिअ कोलकाता	निनिअ मुम्बई	कुल
1	जीएसपी	16,721	21,069	14,048	4,289	31,411	87,538
2	जीएसटीपी	1,181	1,587	584	74	4,648	8,074
3	सप्ता	94	233	62	16	1,093	1,498
4	आईएसएफटीए	2,001	2,503	469	477	4,451	9,901
5	आईटीएफटीए	32	23	78	-	298	431
6	आईएससीईसीए (सिंगापुर)	1	-	9	-	-	10
7	साफ्टा	3,521	15,024	841	15,296	11,569	46,251
8	आप्ता	3,421	2,792	1,025	1,249	14,157	22,644

9	आईसीपीटीए (चिली)	1,313	2,317	621	414	5,658	10,323
10	आईएमपीटीए (मर्कोसुर)	60	82	4	1	160	307
11	एआईएफटीए	19,934	25,504	10,067	3,951	55,798	115,254
12	आईकेसीईपीए	10,482	9,137	3,703	976	20,639	44,937
13	आईएमसीईसीए	315	705	63	44	1,222	2,349
14	आईजेसीईपीए	4,382	9,969	3,056	2,854	10,939	31,200
15	भारत मॉरीशस	-	-	-	-	-	-
	कुल	63,458	90,945	34,630	29,641	162,043	380,717

15 पीटीए/एफटीए का संक्षिप्त विवरण, जिसके तहत वर्तमान में निनिप/निनिअ द्वारा मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं, इस प्रकार हैं:

4.1 अधिमान्य की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी)

अधिमान्य की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सामान्य नियमों से छूट की एक औपचारिक प्रणाली है, जिसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत (एमएफएन) के रूप में माना जाता है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 87,538 प्रमाणपत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध 229 हैं।

4.2 वैश्विक व्यापार अधिमान्य प्रणाली (जीएसटीपी)

करार पर 13 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए तथा यह 19 अप्रैल, 1989 से लागू हुआ। करार का समर्थन करने एवं 77 के समूह के सदस्यों के बीच व्यापार रियायतें प्राप्त करने के बाद, चालीस देश भागीदार बन गए हैं। जीएसटीपी की कार्यक्षेत्र व्याप्ति प्रशुल्क, पैरा- प्रशुल्क, गैर- प्रशुल्क उपाय, मध्यम एवं दीर्घकालिक अनुबंधों सहित प्रत्यक्ष व्यापार उपाय एवं क्षेत्रीय करार क्षेत्र में व्यवस्थाओं तक फैली हुई है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 8,074 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.3 एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए/आफ्टा)

यह करार ईएससीएपी के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार विस्तार की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार उदारीकरण उपायों को अपनाने के माध्यम से उनके संबंधित वर्तमान एवं भविष्य के विकास एवं व्यापार की जरूरतों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 22,644 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस योजना के तहत 2020–21 में 117 सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

4.4 दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र पर करार (एसएफटीए/ साफ्टा)

करार राज्य इस करार के अनुसार रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से करार राज्यों के बीच सहयोग, आपसी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) की स्थापना करते हैं। यह करार, इस करार के अनुसार रियायतों का आदान-प्रदान करने के माध्यम से व्यापार बाधाओं को दूर करके, मुफ्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढ़ावा देकर, करार को कार्यान्वित करने तथा लागू करने के प्रभावी तंत्र बनाने के संबंध में राज्यों के बीच आपसी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है तथा बढ़ाता है। साफ्टा करार 1 जनवरी, 2006 को लागू हुआ। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ

द्वारा कुल 46,251 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.5 भारत–श्रीलंका मुफ्त व्यापार करार (आईएसएफटीए)

इस करार का उद्देश्य भारत एवं श्रीलंका के बीच व्यापार के विस्तार तथा आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करता है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 9,901 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.6 भारत जापान व्यापक भागीदारी करार (आईजेसीईपीए)

भारत–जापान व्यापक भागीदारी करार पर 16 फरवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार के उद्देश्य हैं : उत्पादों तथा सेवाओं में व्यापार को उदार एवं सुगम बनाना; निवेश के अवसरों में वृद्धि तथा निवेश के लिए सुरक्षा को मजबूत करना; बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सहयोग को बढ़ावा देना; कारोबारी माहौल में सुधार; करार में सहमत क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना; इस करार के कार्यान्वयन तथा लागू करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं तैयार करना एवं विवादों का समाधान करना। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 31,200 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस योजना के तहत 2020–21 में 16 सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए।

4.7 भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईकेसीईपीए)

भारत कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर 7 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार का उद्देश्य उत्पादों तथा सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना एवं सुगम करना तथा निवेश का विस्तार करना, आर्थिक संबंधों को मजबूत तथा बढ़ाने के लिए एक सहकारी ढांचा स्थापित करना; मुफ्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की

स्थितियों को बढ़ावा देना; व्यापार एवं निवेश को नियंत्रित करने के लिए पारदर्शी नियमों का ढांचा स्थापित करना है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 44,937 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल 4 सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

4.8 भारत–मर्कोसुर तरजीही व्यापार करार (आईएमपीटीए)

भारत मर्कोसुर पीटीए पर 25 जनवरी, 2004 को लैटिन अमेरिका के व्यापारिक ब्लॉक मर्कोसुर और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए। मर्कोसुर एवं भारत गणराज्य के बीच एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण के लिए ढांचा करार पार्टियों के बीच एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ पारस्परिक निश्चित अधिमान्य प्रशुल्क प्रदान करके मौजूदा संबंधों का विस्तार करने तथा मजबूत करने एवं व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए हैं। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 307 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.9 चिली के साथ अधिमान्य व्यापार करार (पीटीए)

भारत चिली अधिमान्य प्रशुल्क करार पर 8 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए। करार का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार एवं आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना तथा व्यापार बाधाओं को दूर करना है। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 10,323 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.10 भारत–आसियान करार

भारत गणराज्य एवं दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा करार के तहत 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षरित उत्पाद के व्यापार करार फ्रेमवर्क करार में परिकल्पित उत्पादों के व्यापार एवं उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर लागू होगा। इस प्रणाली के तहत, 2020–21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 1,15,254 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020–21 में इस योजना के तहत प्राप्त कुल सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध 15 हैं।

4.11 भारत अफगानिस्तान मुफ्त व्यापार करार (आईएफटीए)

इस करार का उद्देश्य व्यापार के विस्तार के माध्यम से आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा की उचित स्थिति प्रदान करना है।

4.12 सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एस एपीटीए)

सार्क तरजीही व्यापार व्यवस्था पर करार पर 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध करने वाले राज्य इस करार के अनुसार रियायतों का आदान-प्रदान करके, अनुबंधित राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एसए पीटीए) की स्थापना करते हैं। इस प्रणाली के तहत, 2020-21 के दौरान ईआईए द्वारा कुल 1,498 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020-21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.13 भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (आईएससीईसीए)

भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार के उद्देश्य आर्थिक, व्यापार तथा निवेश सहयोग को मजबूत करना / बढ़ाना है; उत्पाद एवं सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना / बढ़ावा देना, उनके विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की दक्षता व प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, व्यापार एवं निवेश का विस्तार करना, आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना, निकट आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय

विकसित करना; क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग एवं समंवय को सुगम बनाने तथा बढ़ाने हैं।

4.14 भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सीईसीए व्यावसायिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए पेशेवरों एवं कुशल व्यक्तियों के संचलन, सीमा पार आपूर्ति, दूरसंचार सेवाओं सहित पर्याप्त क्षेत्रीय कवरेज के साथ, तरजीही आधार पर सेवाओं में व्यापार को उदार बनाएगा। सीईसीए के तहत बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं आसियान-भारत व्यापार उत्पाद करार की तुलना में तेज समयसीमा एवं कम बहिष्करण सूचियों सहित अधिक उदार प्रशुल्क रियायतें प्रदान करती हैं। सीईसीए में बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पादक उद्योग, पर्यटन, एसएमई, व्यापार सुविधा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग सम्मिलित है। इस प्रणाली के तहत, 2020-21 के दौरान निनिअ द्वारा कुल 2,349 प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2020-21 में इस योजना के तहत कोई सत्यापनोत्तर जांच (पीवी) अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

4.15 भारत थाईलैंड मुफ्त व्यापार करार

भारत गणराज्य और थाईलैंड साम्राज्य की सरकारें अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, व्यापार के लिए बाधाओं को उत्तरोत्तर उदार बनाना एवं समाप्त करना, पारस्परिक आधार पर उत्पादों एवं सेवाओं की सीमा पार आवाजाही की सुविधा के साथ-साथ एक पारदर्शी, उदार एवं सुविधाजनक निवेश व्यवस्था बनाना; नए क्षेत्रों का पता लगाने तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त उपाय विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे।

5.1 निनिप एवं निनिअ में नए विकास

5.1.1 निनिअ—मुंबई में परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआर) सुविधा

निनिअ—मुंबई में परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआर) का उपयोग करके उत्पत्ति एवं प्रामाणिकता के विश्लेषण की सुविधा स्थापित की गई है। वाणिज्य विभाग ने फैसला किया है कि 1 अगस्त 2020 से, संयुक्त राज्य अमेरिका को जाने वाले शहद के सभी परेषणों को एनएमआर परीक्षण के अधीन किया जाएगा, क्योंकि यूएसए ने भारत से निर्यात किए गए शहद की उत्पत्ति पर चिंता व्यक्त की थी। निनिअ—मुंबई प्रयोगशाला को एनएमआर (न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनंस) स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके शहद में भौगोलिक उत्पत्ति तथा मिलावट के विश्लेषण के लिए आईएसओ-17025:2017 के अनुसार मान्यता प्राप्त हुई है।

5.1.2 निनिअ—मुंबई में आईटीसी—एफएसएएन

आईटीसी—एफएसएएन (खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र), निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक संयुक्त पहल, वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी (जीएफएसपी) के सहयोग से, विश्व बैंक की पहल ने 22 सितंबर 2020 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। यह सुविधा विभिन्न खाद्य व्यवसाय प्रचालकों (एफबीओ), निर्यातकों आदि सहित खाद्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारकों के लिए खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। आईटीसी—एफएसएएन में व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा (एचओटी) भारत एवं पड़ोसी देशों के प्रयोगशाला कर्मियों को खाद्य में अवशेषों एवं दूषित पदार्थों के विश्लेषण के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस केंद्र ने एक वर्ष में 150 से अधिक कार्यक्रम संचालित किए हैं और 30,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।



श्री दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएस, संयुक्त सचिव एवं निदेशक, निनिप ने आईटीसी—एफएसएएन (अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र – खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण) की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य भाषण दिया।

5.1.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रीजी द्वारा निनिप की समीक्षा बैठक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के कामकाज की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12 जून 2020 को एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मानव इंटरफेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया।

5.1.4 निर्यात में आसानी के लिए डिजिटल पहल: मूलस्थान प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (सीडीपी)

माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा मूलस्थान प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने के लिए डीजीएफटी द्वारा 16 सितंबर 2019 को प्रारंभित आम डिजिटल प्लेटफॉर्म (सीओओ) का शुभारंभ किया गया। सीडीपी निर्यातकों के लिए मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी करने तथा व्यापार करने में आसानी के लिए अधिकृत सभी नामित अभिकरणों को एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है क्योंकि कार्यालयों का दौरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब से सीओओ की निम्नलिखित अधिमान्य योजनाओं को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय किया गया है तथा निनिअ केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं।

क्र.सं.	अधिमान्य योजना का नाम	सीडीपी पर सक्रिय होने की तारीख
1	भारत चिली पीटीए	25 सितंबर 2019
2	साफ्टा एवं साप्ता (केवल नेपाल के लिए)	18 दिसंबर 2019
3	भारत कोरिया सीईपीए	6 मार्च 2020
4	एआईएफटीए	7 अप्रैल 2020
5	साफ्टा एवं साप्ता (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के लिए)	7 अप्रैल 2020
6	एशिया प्रशांत व्यापार करार	7 अप्रैल 2020
7	भारत श्रीलंका एफटीए	7 अप्रैल 2020
8	जीएसपी, जीएसटीपी, भारत-मलेशिया सीईसीए, भारत-सिंगापुर सीईसीए	15 अक्तूबर 2020

निनिप ने सीडीपी के डिजाइन एवं विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा निर्यातकों द्वारा पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, निर्यातकों द्वारा

आवेदन दाखिल करने, अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने, विभिन्न एफटीए के तहत मूलस्थान प्रमाणपत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं मानक प्रारूपों आदि पर जानकारी प्रदान की थी। निनिप/निनिअ कार्यालयों ने इस प्लेटफॉर्म के बीटा परीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा इसके शुभारंभ से पहले इसे और बेहतर बनाने के लिए योगदान दिए।

5.1.5 भारत से कनाडा को सोयाबीन खाद्य निर्यात की सुविधा

हाल ही में, 2020 के मध्य में, अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के संचरण के जोखिम के संदर्भ में कनाडा एक नई आवश्यकता के साथ आया था और उल्लेख किया कि भारत से कनाडा को पौधे आधारित खाद्य (सोयाबीन खाद्य) का निर्यात भारत से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित प्रश्नावली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इस संबंध में उद्योग एवं कनाडा के उच्चायोग ने निनिप से संपर्क किया था तथा प्रश्नावली के समर्थन के लिए निनिप को अनुमति देने के लिए वाणिज्य विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया। 31 जुलाई 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर, निनिअ सोयाबीन खाद्य के निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कनाडा की आवश्यकता के अनुसार प्रश्नावली का समर्थन कर रहे हैं।

5.2 कोविड-19 के दौरान निनिप द्वारा की गई पहल

- प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों को निनिअ अधिकारियों/

अनुमोदित प्रयोगशाला सैंपलर द्वारा नमूना लेने के बजाय नमूने लेने की अनुमति दी गई थी ।

- निजी प्रयोगशालाओं को परीक्षण करने की अनुमति दी गई ।
- पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठानों को "प्रतिष्ठान के अनुमोदन के नवीनीकरण" में विस्तार प्रदान किया गया ।
- स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आंतरिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए तथा निजी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट पर जोर नहीं दे रही है ।
- कुरियर सेवा बाधित होने के कारण, प्राधिकरणों के सक्षम प्राधिकारियों से हार्ड कॉपी के लिए जोर देने के बजाय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी अथवा जहां कहीं भी आयातक देशों को इसकी आवश्यकता होती है, वहां आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अधिकारियों के साथ साझा किए गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतियां स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।
- परेषण-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) योजना के तहत चावल निर्यातकों को स्व-नमूनाकरण की अनुमति दी गई ।
- कुछ मामलों में, निर्यात की अनुमति दी जाती है तथा सुविधा के लिए नमूनों का कार्योत्तर आधार पर परीक्षण किया जाता है ।
- निनिअ द्वारा कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (सीडीपी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मूलस्थान प्रमाणपत्र (ई-सीओओ) तथा मैनुअल रूप से भी (सीडीपी पर योजनाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) जारी किया गया ।
- कोविड-19 अवधि के दौरान 12,000 से अधिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं 37,500 मूलस्थान प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।
- निर्यात बिरादरी के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को दूर किया गया और फास्ट ट्रैक आधार पर हल किया गया ।
- निनिप/निनिअ के अधिकारियों ने कोविड-19 के दौरान विभिन्न वेबिनार और वर्चुअल मीटिंग में सक्रिय

रूप से भाग लिया है। निनिअ-मुंबई में खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी-एफएसएएन) ने विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए 25 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं ।

- कोविड-19 अवधि के दौरान, कार्यालयों ने समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया तथा स्थानीय प्रशासन के साथ निकट समन्वय में बहुत कम कर्मचारियों के साथ संचालित किया। निनिप/निनिअ कर्मचारियों की सुरक्षा तथा वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए हर सावधानी एवं सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। निनिअ द्वारा निर्यात बिरादरी को विषम घंटों के दौरान काम करने के साथ-साथ घर से काम करके अविराम सेवाएं प्रदान की गईं तथा निर्यातकों द्वारा इसकी सराहना की गई है

5.3 प्रयोगशाला गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

प्रयोगशालाएं निनिप के निर्यात नियंत्रण कार्यक्रम की रीढ़ हैं तथा निनिप के पास नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं का एक मजबूत नेटवर्क है। परीक्षण एवं अंशंकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पांच खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि और मुंबई में स्थित हैं, जो निर्यात के लिए खाद्य उत्पादों के प्रमाणन में संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) का समर्थन करते हैं। निनिअ के पास नियमित सूक्ष्मजैविक विश्लेषण के लिए अपने उप-कार्यालयों से जुड़ी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं। इसके अलावा, एक खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला निनिअ-दिल्ली में स्थित है, जिसे आईएसओ 17025:2017 के अनुसार भी मान्यता प्राप्त है।

निनिअ प्रयोगशालाओं के अलावा, निनिप की एकीकृत प्रयोगशाला आकलन योजना (आईएलएएस) के अनुसार, आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों के परीक्षण के उद्देश्य से बाहरी प्रयोगशालाओं को अनुमोदन दिया जाता है। 31 मार्च, 2021 तक एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अनुमोदित बाह्य प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 50 है।

5.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) की प्रमुख गतिविधियाँ/ उपलब्धियाँ 2020-21

5.4.1 निनिअ—चेन्नई

- निनिअ—चेन्नई प्रयोगशाला ने 01.01.2020, 27.11.2020 और 12.03.2021 के दौरान निनिअ—मुंबई पीटीएच प्रयोगशाला तथा मेसेर्स टेस्ट वेरिटास द्वारा आयोजित तीन (03) पीटी कार्यक्रम में भाग लिया। प्राप्त परिणाम संतोषजनक थे।
- कोविड महामारी की स्थिति के दौरान, प्रयोगशाला द्वारा प्रतिवर्तन काल के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।
- पुराने परिसर से नए परिसर तक निनिअ—चेन्नई उप कार्यालय विशाखापत्तनम प्रयोगशाला का स्थानांतरण अगस्त 2020 के दौरान किया गया।

5.4.2 निनिअ—दिल्ली

- निनिअ—दिल्ली प्रयोगशाला ने आईएसओ/आईईसी 17025:2005 के अनुसार एनएबीएल प्रत्यायन का अनुपालन जारी रखा है। आईएसओ 17025:2017 के अनुसार एकीकृत मूल्यांकन के तहत मान्यता के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र 02 जनवरी 2021 को जारी किया गया।
- प्रयोगशाला ने आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण जांच के अलावा 2020-21 की अवधि के दौरान पीटी कार्यक्रम में भाग लिया, इसके अलावा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा परिणाम की वैधता सुनिश्चित करने के लिए तथा नीचे उल्लिखित तकनीकी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए : अंतरराष्ट्रीय मानकों आईएसओ/आईईसी 17043: 2010 की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाता द्वारा वितरित योजना का आयोजन। उपर्युक्त पीटी प्रदाता द्वारा प्राप्त भागीदारी के प्रमाण पत्र के आधार पर 'ज़ेड/ज़ेड' का स्कोर संतोषजनक है।

5.4.3 निनिअ—कोच्ची

- निनिअ—कोच्ची प्रयोगशाला ने वर्ष 2020-21 के दौरान आईएसओ/आईईसी 17025: 2017 के अनुसार निनिअ—कोच्ची प्रयोगशाला की निगरानी मूल्यांकन एवं निरंतर मान्यता को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- निनिअ—कोच्ची प्रयोगशाला ने 2020-21 में पीटी कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद पीटी प्रदाता,

जीएमओ के लिए आईएसओ 17043 के अनुसार मान्यता के लिए एनएबीएल को आवेदन प्रस्तुत किया है।

- एनएबीसीबी ऑडिटर्स द्वारा प्रथम निगरानी मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया तथा आईएसओ/आईईसी 17020: 2012 के अनुसार निनिअ—कोच्ची मुख्यालय की निरंतर मान्यता प्राप्त की।

5.4.4 निनिअ— कोलकाता

- यूएचपीएलसी—आईसीपीएमएस द्वारा चावल में अकार्बनिक आर्सेनिक के निर्धारण एवं अनिश्चितता विश्लेषण पर प्रकाशित विधि।
- आईएसओ/आईईसी 17025: 2005 संस्करण से 17025:2017 संस्करण में प्रयोगशाला का संक्रमण मूल्यांकन
- पीटी कैलेंडर 2020 के अनुसार विभिन्न मैट्रिक्स के लिए भारी धातुओं में आईएसओ 17043—संगठित पीटी कार्यक्रम के अनुसार पीटी प्रदाता गतिविधि।
- एफएसएसएआई द्वारा सौंपी गई एनआरएल गतिविधि – एफएसएसएआई अनुमोदित प्रयोगशालाओं के लिए मत्स्य सामग्री में भारी धातुओं में एक पीटी कार्यक्रम का आयोजन किया।
- आईएसओ 17025:2017 की आवश्यकता के अनुसार सभी पीटी कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भाग लिया।
- निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता उप कार्यालय भुवनेश्वर (प्रयोगशाला) का एनएबीएल निगरानी मूल्यांकन 18-19 दिसंबर 2020 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया।

5.4.5 निनिअ— मुंबई

- आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार रासायनिक एवं जैविक परीक्षण की नवीकरणीय मान्यता स्थिति हासिल की।
- वर्ष 2020-21 में आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार शहद के एनएमआर परीक्षण की मान्यता की स्थिति हासिल की।
- प्रयोगशाला ने अगस्त 2020 से व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएमआर का उपयोग करके शहद के नमूनों में मूल मानदंड एवं मिलावट के निर्धारण के लिए परीक्षण सेवाएं शुरू की हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए शहद के 52 नमूनों का एनएमआर का उपयोग करते हुए निनिअ—मुंबई प्रयोगशाला से विश्लेषण करके रिपोर्ट

की पुष्टि की गई।

- निनिप-आरएमपी 2021-22 के अनुसार पशु केंसिंग में क्लोरैम्फेनिकॉल एवं नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट मापदंडों (4 यौगिक) के लिए विधि विकास एवं मान्यकरण पूरा कर लिया है।
- 2020-21 की अवधि के दौरान 8 प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों (रासायनिक, सूक्ष्म जैविक एवं आणविक जीव विज्ञान मापदंडों) में सफलतापूर्वक भाग लिया तथा परीक्षण में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रैंडम क्रॉस-चेकिंग के हिस्से के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन किया।

5.5 निरीक्षण अभिकरणों की मान्यता

- भारत सरकार निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 (1) के तहत अधिसूचित खनिजों तथा अयस्कों का पोतलदान पूर्व निरीक्षण एवं प्रमाणन करने के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ "ए" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निनिप निरीक्षण

अभिकरण मान्यता योजना 2012 के अनुसार, निनिप की सिफारिश पर निजी निरीक्षण अभिकरणों को मान्यता देती है। यह योजना व्यापार करने में आसानी के लिए तथा निर्यात व्यापार की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए भारत सरकार की पहल के अनुरूप है।

5.6 ई – स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली

- निनिप अधिसूचित खाद्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। गैर-अधिसूचित खाद्य वस्तुओं के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जहां आयातक देश प्राधिकरण को स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ई-प्रमाणन के माध्यम से 2020-21 के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संख्या तालिका (छ) में दिए गए विवरण के अनुसार 87,508 है।

तालिका (छ): ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली 2020-21 के तहत जारी प्रमाणपत्र

क्र.सं.	प्रमाणपत्र प्रारूप	जारी प्रमाणपत्र
1	मत्स्य सामान्य प्रारूप (गैर-ईयू)	29,857
2	अन्य-उत्पाद स्वैच्छिक	20,912
3	मात्स्यिकी चीन	10,950
4	मात्स्यिकी ईयू	8,849
5	अन्य-उत्पाद गैर-जीएमओ	8,065
6	दुग्ध गैर-यूरोपीय संघ	3,570
7	मात्स्यिकी रूस	1,026
8	अंडा गैर-यूरोपीय संघ	904
9	अन्य उत्पाद तुर्की	897
10	मूंगफली उत्पाद मलेशिया	823
11	मूंगफली उत्पाद यूरोपीय संघ	796
12	मत्स्य ईयू प्रारूप-गैर यूरोपीय संघ देश	550
13	मात्स्यिकी जीसीसी देश	214
14	मात्स्यिकी पालन इज़राइल	59
15	अंडा यूरोपीय संघ	27
16	पशु केंसिंग यूरोपीय संघ	9
	कुल	87,508

5.7 गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र जारीकरण

कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए गैर जीएमओ प्रमाणपत्र निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा जारी किए जाते हैं। चालू वर्ष में विभिन्न कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए कुल 8,065 गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। निनिअ-कोच्ची एवं निनिअ- मुंबई में गैर-जीएमओ के लिए नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

5.8 प्रामाणिकता प्रमाण पत्र जारीकरण

यूरोपीय आयोग ने परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 797/2006 के अनुसार यूरोपीय संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निनिप/निनिअ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी है। तदनुसार, निनिअ यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल के लिए प्रामाणिकता प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए निनिअ द्वारा बासमती चावल की प्रामाणिकता के 1,063 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

5.9 अवशेष मॉनिटरिंग योजना

अवशेष मॉनिटरिंग योजनाएं (आरएमपी), यूरोपीय संघ को पशु मूल खाद्य के निर्यात के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक है, जो यूरोपीय संसद एवं 15 मार्च 2017 की परिषद के विनियमन (ईयू) 2017/625 में संदर्भित अवशेषों और पदार्थों के समूहों के मॉनिटरिंग की गारंटी देती है। तदनुसार, निनिप पशु मूल के विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए ईसी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न अवशेष मॉनिटरिंग योजनाओं को लागू कर रही है। यूरोपीय संघ के विनियमन के अनुसार, निनिप ने वर्ष 2020-21 के लिए अंडा उत्पादों, शहद, दुग्ध उत्पादों तथा ताजा कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों के लिए आरएमपी तैयार किया और प्रस्तुत किया।

2020-21 के दौरान, आरएमपी और राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के अधीन 9,463 नमूनों का परीक्षण किया गया:


तालिका (ज): अवशेष मॉनिटरिंग योजना 2020-21 के तहत परीक्षण किए गए नमूने:


राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी)/ अवशेष मॉनिटरिंग योजना (आरएमपी) डेटा: 2020-21	
उत्पाद	2020-21 के लिए एनआरसीपी/आरएमपी के तहत जांचे गए नमूनों की संख्या
जलकृषि उत्पाद	7,941
अंडा उत्पाद	200
शहद	426
कुक्कुट मांस उत्पाद	596
दुग्ध उत्पाद	300
कुल	9,463

5.10. अन्य गतिविधियां:


5.10.1 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचनाओं की मॉनिटरिंग पर परियोजना:

निनिप "विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा जारी टीबीटी अधिसूचनाओं के मॉनिटरिंग के लिए प्रणाली पर परियोजना" कार्यान्वित कर रही है। मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट व्यापार नीति प्रभाग, वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गई तथा उन्हें निनिप की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया।







TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st July 2020 to 30th September 2020




TBT Notification Country-wise Top 15 During 1st July 2020 to 30th September 2020




TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st October 2020 to 31st December 2020




TBT Notification Country-wise Top 15 During 1st October 2020 to 31st December 2020



TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st January 2021 to 31st March 2021





2020-21 के दौरान विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा कुल 3,427 अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिनमें भारत द्वारा 53 अधिसूचनाएं शामिल हैं। देश-वार और उत्पाद-वार इन अधिसूचनाओं का तिमाही वितरण उपरोक्त चार्ट में दिया गया है। इन अधिसूचनाओं का विश्लेषण भारतीय उद्योग/व्यापार पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था तथा प्रासंगिक हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए टिप्पणियां मांगी गईं कि इन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की कोई समस्या नहीं है। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक एवं अधिसूचनाओं के

विश्लेषण के आधार पर, जहां कहीं लागू हो, भारत की टिप्पणियां निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) द्वारा संबंधित जांच बिंदुओं पर भेजी गई थीं।

5.10.2 सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) एवं उसके क्षेत्रीय संगठन, निर्यात निरीक्षण अभिकरण (निनिअ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आवश्यकताओं के अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन

31.03.2020 को प्रारंभिक शेष सहित प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या	उत्तर दिए गए सूचना का अधिकार आवेदन की संख्या	31.03.2021 को आरटीआई आवेदनों का अंतिम शेष
161	154	07

2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त पहली अपील

31.03.2020 को प्रारंभिक शेष सहित प्राप्त अपीलों की संख्या	उत्तर की गई अपीलों की संख्या	31.03.2021 को अपीलों का अंतिम शेष
21	21	0

2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त दूसरी अपील

सीआईसी से प्राप्त सुनवाई के नोटिस की संख्या	सीपीआईओ/एफएए, निनिप द्वारा उपस्थिति की संख्या
शून्य	शून्य

5.10.3. सतर्कता गतिविधियाँ

इस अवधि के दौरान प्राप्त आठ (08) शिकायतों को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार संभाला गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासित अधिरोपण के साथ 06 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की गई। अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध दायर एक अपील की जांच की गई तथा उसका निपटारा कर दिया गया। विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता मंजूरी के कुल 65 प्रस्ताव सौंपे गए। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, कोई निरीक्षण/आश्चर्यजनक जाँच नहीं की जा सकी। 03 मुद्दों पर जांच-सह-तथ्यात्मक रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत की गई। सहमत सूची तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची (ओडीआई) संगठन के लिए तैयार किया गया। व्यवस्था में सुधार के लिए नौ (09) सुझाव दिए गए।

निर्यात निरीक्षण परिषद (निनिप) ने अपने निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 09/09/2020 दिनांक 08.09.2020 में दिए गए निर्देशों के अनुसार 27 अक्टूबर- 02 नवंबर 2020 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का आयोजन किया। वर्ष का विषय था "सतर्क भारत, समृद्ध भारत-सतार्क भारत-।" शपथ का संचालन श्री जी.सी. राय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, निनिप, नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया तथा निनिप/निनिअ के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। सीवीसी का संदेश भी पढ़ा गया। अभियान मोड में आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियों के उद्देश्य से, एक निर्धारित प्रारूप में विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निनिप/निनिअ से सूचना मांगी गई और जिन क्षेत्रों में कमियों की पहचान की गई है, उन क्षेत्रों में प्रणाली में सुधार की पहल की गई। सीबीआई द्वारा आयोजित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को शाम 5.00 बजे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन भाषण में निनिप/निनिअ के कर्मचारियों ने भाग लिया। 3 स्थानों पर निबंध प्रतियोगिता, 2 स्थानों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा 1 स्थान पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। डॉ. ऋषिकेश राय, सतर्कता अधिकारी, चाय

बोर्ड, कोलकाता को निनिअ-कोलकाता द्वारा 29.10.2020 को सतर्कता पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ तस्वीरें हैं:



VAW-2020 Banners displayed at EIC/EIAs



27 अक्टूबर 2020 को सत्यनिष्ठा की षपथ लेने वाले निनिप/निनिअ के कर्मचारी



सीवीआई द्वारा आयोजित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को शाम 5.00 बजे माननीय प्रधान मंत्री के उद्घाटन भाषण में भाग लेने वाले निनिप/निनिअ के कर्मचारी



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020, 27 अक्टूबर 2020 को निनिप के ट्विटर के माध्यम से संदेश



सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र/स्मृति चिन्ह भेंट किए गए



डॉ. ऋषिकेश राय, सतर्कता अधिकारी, चाय बोर्ड, कोलकाता 29 अक्टूबर 2020 को निनिप-कोलकाता में व्याख्यान देते हुए

5.10.4. निनिप परिषद की बैठकें

परिषद की 117वीं बैठक आभासी रूप से 22 अक्टूबर 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे श्री.एस. किशोर, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग एवं अध्यक्ष निनिप की अध्यक्षता में हुई।

निर्यात निरीक्षण परिषद आधिकारिक संचार में हिंदी का सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। वर्ष की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत सभी दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए।
- वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधानों का समुचित रूप से पालन किया गया।
- निर्यात निरीक्षण परिषद एवं अभिकरणों द्वारा राजभाषा नियमों के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं / विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- अधिकारियों / कर्मचारियों को मूल कार्य हिन्दी में करने पर प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया।
- सभी तिमाहियों में हिन्दी प्रगति रिपोर्टों को निनिप / निनिअ द्वारा राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया गया।
- निनिप / निनिअ के प्रवेश द्वार पर हिन्दी में एक नया शब्द प्रतिदिन बोर्ड पर लिखा जाता है।
- 14–28 सितंबर, 2020 के दौरान निनिप / निनिअ में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए शब्दावली प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण एवं निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- अधिकांश कार्यालयों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम, 1976, उप–नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किया गया है और पेश कार्यालयों को मंत्रालय स्तर पर अधिसूचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निर्यात निरीक्षण परिषद ने राजभाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए द्विवार्षिक हिन्दी पत्रिका “मंथन” प्रकाशित की।

- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग ने निनिप को अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने और लेनदेन के समय और जनशक्ति लागत को कम करने में सक्षम बनाया है। संगठन में आईटी के व्यापक अनुप्रयोग को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग का श्रेय दिया गया है तथा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करते समय कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग के लाभों से जोड़ा गया है जैसे एमआईएस रिपोर्ट।
- सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग समय-समय पर जरूरतों के आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- निनिप अपनी वेबसाइट www.eicindia.gov.in का रखरखाव करती है, जिस पर इसकी नीति एवं प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट सूचनात्मक एवं संवादात्मक दोनों है तथा वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की जा सकती है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं, जैसे, मूलस्थान प्रमाण पत्र एवं ई-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की पेशकश की जाती है। वेबसाइट पर एक ज्ञान भंडार अनुभाग है जो सभी कानूनी ढांचे का विवरण एवं निनिप की विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के बारे में जानकारी देता है।
- मूलस्थान प्रमाणपत्र मॉड्यूल के तहत लगभग 99 प्रतिशत निर्यातक सभी अधिमान्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रमाणन के लिए आवेदन करते हैं। निनिप ने मूलस्थान प्रमाणपत्र के ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ निर्यात चालान, लागत ब्रेकअप शीट आदि जैसे सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा भी शामिल की है। निनिप भारत में जारी करने वाले सभी प्राधिकरणों के लिए मूलस्थान प्रमाणपत्र (दोनों अधिमान्य एवं गैर-अधिमान्य) जारी करने के लिए साझा मंच के विकास में सहायता प्रदान कर रही है।
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के आवेदन एवं प्रसंस्करण के लिए निनिप द्वारा ई-स्वास्थ्य प्रमाणन प्रणाली का रखरखाव किया जाता है।
- निनिप से संबंधित सभी नियम इंडिया कोड पोर्टल (वेबसाइट <https://indiacode.nic.in>) पर उपलब्ध कराए गए हैं।

जब से इसकी स्थापना हुई है तब से, निनिप ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा की गतिशीलता एवं संगठन के जनादेश से संबंधित अन्य प्रमुख पहलुओं पर उन्हें अद्यतन बनाए रखने के लिए अपनी जनशक्ति के क्षमता निर्माण पर जोर दिया है

प्रशिक्षण कर्मचारियों को नए कौशल हासिल करने, मौजूदा कौशल को तेज करने, बेहतर प्रदर्शन करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा बेहतर नेता बनने की अनुमति देता है।

निनिप समझती है कि चूंकि एक संगठन कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हासिल की गई कुल उपलब्धि है, कर्मचारियों को अपने चरम पर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए संगठनों को अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2020–21 में निनिप ने सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षणों के लिए अधिकारियों को नामित किया।

तालिका (झ): अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक और प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

क्र.सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय/थीम	स्थान	आयोजक	अवधि
1	1	खाद्य सूक्ष्मजैविकी में अनिश्चितता का मापन	वर्चुअल मोड	आईएसओ तकनीकी समिति – आईएसओ/टीसी34 /एससी 9 खाद्य सूक्ष्मजैविकी – कार्यकारी समूह 2	11 जनवरी 2021, 01 दिन
2	1	ई कोली का सामंजस्य एवं विधि मान्यकरण	वर्चुअल मोड	आईएसओ तकनीकी समिति – आईएसओ/टीसी 34/एससी 9 खाद्य सूक्ष्मजैविकी-कार्यकारी समूह 16	16 फरवरी 2021, 01 दिन
3	1	खाद्य सूक्ष्मजैविकी में अनिश्चितता का मापन	वर्चुअल मोड	आईएसओ तकनीकी समिति-आईएसओ/टीसी 34/एससी 9 खाद्य सूक्ष्मजैविकी-कार्यकारी समूह 2	22 फरवरी 2021, 01 दिन
4	1	क्लोस्ट्रीडियम की विधि विकास, मान्यता और अंतर-प्रयोगशाला अध्ययन डिजाइन	वर्चुअल मोड	आईएसओ तकनीकी समिति – आईएसओ/टीसी 34 /एससी 9 खाद्य सूक्ष्मजैविकी – कार्यकारी समूह 23	24 फरवरी 2021, 01 दिन

5	1	भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण (बाफ्रा) के अधिकारियों के लिए नियामक अनुपालन के लिए खाद्य उत्पादों के नमूने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	आईटीसीएफएसएएन	03-05 मार्च 2021, 03 दिन
6	1	मानक का अनुकूलन	वर्चुअल मोड	आईएसआ / टीसी 34 / एससी 9 खाद्य सूक्ष्मजैविकी – कार्यकारी समूह 2	16 मार्च 2021, 01 दिन
7	1	तुलना	वर्चुअल मोड		

तालिका (ज): राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक एवं प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी: 2020-21					
क्र.सं.	अधिकारियों की संख्या	विषय/थीम	स्थान	आयोजक	अवधि
निनिअ-वेन्नई					
1	5	कीटनाशक अवशेष – विधि मान्यकरण और आयातक देश की आवश्यकताएं	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	17-18 जुलाई 2020, 25-26 जुलाई 2020, 02 दिन प्रत्येक
2	5	सूक्ष्मजैविकी विश्लेषण विधि मान्यकरण एवं आयातक देश की आवश्यकताएं	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	17-18 जुलाई 2020, 25-26 जुलाई 2020, 02 दिन प्रत्येक
3	5	डाइऑक्साइन्स और पीसीबी – विधि मान्यकरण एवं आयातक देश की आवश्यकताएं	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	17-18 जुलाई 2020, 25-26 जुलाई 2020, 02 दिन प्रत्येक
4	3	आयातक देश एवं घरेलू विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार एकीकृत मूल्यांकन पर प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	18-19 जुलाई 2020, 25-26 जुलाई 2020, 02 दिन प्रत्येक
5	1	एकीकृत मूल्यांकन – आयातक देश एवं घरेलू विनियमन आवश्यकताएं	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	25 – 26 जुलाई 2020, 02 दिन
6	6	निर्यात व्यापार के लिए चावल का विश्लेषण	आईटीसी-एफएसएएन / पीटीएच मुंबई (वर्चुअल प्रशिक्षण)	आईटीसी-एफएसएएन / निनिप / एफएसएएआई	25 अगस्त 2020, 01 दिन

7	6	निर्यात व्यापार के लिए मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के नमूनाकरण एवं विश्लेषण	आईटीसी-एफएसएएन / पीटीएच मुंबई (वर्चुअल प्रशिक्षण)	आईटीसी-एफएसएएन / निनिप / एफएसएएसएआई	27 – 28 अगस्त 2020, 2 दिन
8	2	चावल में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण	आईटीसी-एफएसएएन / पीटीएच मुंबई (वर्चुअल प्रशिक्षण)	आईटीसीएफएसएएन	02 दिसंबर 2020, 01 दिन
9	1	निनिप/निनिअ की भूमिका पर वर्चुअल प्रशिक्षण – डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीओओ जारी करना	वर्चुअल मोड	भारतीय निर्यात संगठन महासंघ	12 दिसंबर 2020, 01 दिन
10	1	निर्यातकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम – स्वास्थ्य और सीओओ प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निनिप/निनिअ की भूमिका	मदुरै, तमिलनाडु	एपीडा	19 फरवरी 2021, 01 दिन
निनिप दिल्ली					
1	2	एकीकृत मूल्यांकन पर प्रयोगशालाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (वर्चुअल): आयातक देश एवं घरेलू विनियमन आवश्यकता	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	18–19 जुलाई 2020, 02 दिन
2	1	एकीकृत मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण: आयातक देश और घरेलू विनियमन आवश्यकता	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	25–26 जुलाई 2020, 02 दिन
3	1	निर्यात व्यापार के लिए चावल का विश्लेषण 25 अगस्त, 2020 को आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप द्वारा किया गया। साथ ही इसमें एक प्रयोगशाला अधिकारी की भागीदारी भी शामिल है।	वर्चुअल मोड	आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप	25 अगस्त, 2020, 01 दिन
4	2	चावल में एप्लोटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त नमूना तैयार करने की कार्य नीतियों एवं विधियों पर ऑनलाइन प्रदर्शन पर प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप	03 नवंबर, 2020, 01 दिन
5	2	चावल में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमूना तैयार करने की कार्य नीतियों और विधियों पर ऑनलाइन प्रदर्शन पर प्रशिक्षण।	वर्चुअल मोड	आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप	02 दिसंबर, 2020, 01 दिन
6	1	सतर्कता अधिकारी के लिए सतर्कता पाठ्यक्रम	वर्चुअल मोड	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद	22–26 फरवरी 2021, 05 दिन

निनिअ-कोच्ची

1	1	रासायनिक और जैविक परीक्षण में मान्यकरण और सत्यापन का परिचय	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	08 जून 2020, 1 दिन
2	10	एकीकृत मूल्यांकन पर प्रयोगशालाओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वर्चुअल): आयातक देश एवं घरेलू विनियमन आवश्यकताएं।	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	18 - 19 जुलाई 2020, 02 दिन
3	5	एकीकृत मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम: आयातक देश और घरेलू विनियमन आवश्यकताएं।	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	25 - 26 जुलाई 2020, 02 दिन
4	2	निर्यात व्यापार के लिए चावल के विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वर्चुअल)।	वर्चुअल मोड	आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई	25 अगस्त, 2020, 01 दिन
5	1	निर्यात व्यापार के लिए मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	वर्चुअल मोड	आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई	27 - 28 अगस्त 2020, 02 दिन
6	2	“चावल में एफलाटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त नमूना तैयार करने की कार्य नीतियाँ एवं प्रकार” पर ऑनलाइन प्रदर्शन प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई	03 नवंबर, 2020, 01 दिन
7	1	भारत में खाद्य परीक्षण एवं अधिसूचित एनएबीएल, रेफरल एवं संदर्भ प्रयोगशालाओं की आवश्यकता तथा विभिन्न पहलू- मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	वर्चुअल मोड	आईसीएआर - मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र	06 जनवरी, 2021, 01 दिन
8	1	पशु मूल के खाद्य में प्रतिबंधित पशु चिकित्सक दवाओं के विश्लेषण में चुनौतियों पर वेबिनार	वर्चुअल मोड	एओएसी इंडिया और आईटीसीएफएसएएन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित	02 मार्च, 2021, 1 दिन

निनिअ-कोलकाता					
1	2	एकीकृत मूल्यांकन पर प्रयोगशाला के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम: आयातक देश एवं घरेलू विनियमन आवश्यकताएं।	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	18-19 जुलाई 2020, 02 दिन
2	1	एकीकृत मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम: आयातक देश एवं घरेलू विनियमन आवश्यकताएं।	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	25-26 जुलाई 2020, 02 दिन
3	2	निर्यात व्यापार के लिए चावल का विश्लेषण 25 अगस्त, 2020 को आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप द्वारा किया गया तथा साथ ही इसमें एक प्रयोगशाला अधिकारी की भागीदारी भी शामिल	वर्चुअल मोड	आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप	25 अगस्त, 2020, 01 दिन
4	2	निर्यात व्यापार के लिए मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के नमूने और विश्लेषण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	वर्चुअल मोड	आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई	27 - 28 अगस्त 2020, 02 दिन
5	2	चावल में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नमूना तैयार करने की कार्य नीतियों एवं विधियों पर ऑनलाइन प्रदर्शन पर प्रशिक्षण।	वर्चुअल मोड	आईटीसी एफएसएएन एवं निनिप	02 दिसंबर, 2020, 01 दिन
6	2	खाद्य उत्पाद अनुभागीय समिति, एफएडी 28 के लिए परीक्षण विधियां	वर्चुअल मोड	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), खाद्य एवं कृषि विकास	22 दिसंबर, 2020, 01 दिन
7	2	पशु मूल के खाद्य में प्रतिबंधित पशु चिकित्सक दवाओं के विश्लेषण में चुनौतियों पर ऑनलाइन सत्र	कोलकाता	आईटीसी-आईएसएएन, मुंबई	2 मार्च, 2021, 01 दिन
8	3	आईएसओ 17043 के अनुसार पीटीपी कॉन्क्लेव	वर्चुअल मोड	एन ए बी एल	23 मार्च, 2021, 01 दिन

निनिअ- मुंबई					
1	2	चावल में एफलाटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले नमूना तैयार करने की कार्यनीति और विधि पर ऑनलाइन प्रदर्शन	वर्चुअल मोड	निनिअ- मुंबई	03 नवंबर, 2020, 01 दिन
2	1	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार के दौरान निर्यात प्रोत्साहन के लिए दुग्ध उद्योग के लिए कानूनी आवश्यकताएं	वर्चुअल मोड	मुंबई पशु चिकित्सा कॉलेज	25 नवंबर, 2020, 01 दिन

तालिका (ट): निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम

2020-21 के दौरान निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान
1	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद योजना पर प्रशिक्षण	11-07-2020	वर्चुअल मोड, मैंगलोर
2	पशु स्वास्थ्य विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमएआरडी), वियतनाम की वेबसाइट में प्रतिष्ठान की सूची।	14-07-2020	वर्चुअल मोड, मैंगलोर
3	एसएफ डीए- सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रतिष्ठान की सूची	05-08-2020	वर्चुअल मोड, मैंगलोर
4	सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन (जीएससीसी) चीनी जनवादी गणराज्य पर मत्स्य प्रतिष्ठानों की सूची से संबंधित मुद्दे	20-10-2020	वर्चुअल मोड, मैंगलोर
5	स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के मुद्दे पर चर्चा के लिए समुद्री खाद्य व्यापार के साथ बैठक	13-11-2020	कोच्ची
6	निनिअ-वेरावल: मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के नमूना लेने की तकनीक	25-11-2020	वेरावल
7	माल एवं सेवाओं की ई-खरीद, तथा संबंधित भारत सरकार वित्तीय नियम	16-12-2020	वेरावल
8	समुद्री खाद्य निर्यात का इतिहास तथा निर्यात में निनिअ की भूमिका	20-12-2020	वेरावल
9	केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के नियंत्रण में अवलोकन	21-12-2020	वर्चुअल मोड, मुंबई
10	हिंदी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन और आईटी उपकरणों के उभरते आयाम विषय पर कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयकर विभाग कोच्ची में आयोजित कार्यशाला	17-02-2021. 18-02-2021	वर्चुअल मोड, कोच्ची
11	अनुमोदित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों के लिए कार्यकारी निर्देश जागरूकता कार्यक्रम।	10-03-2021	वर्चुअल मोड, दिल्ली
12	कार्यकारी निर्देश की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के संबंध में अनुमोदित शहद प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण	11-03-2021	वर्चुअल मोड, दिल्ली
13	मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के लिए जीएससीसी आवश्यकताओं, शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवश्यकताओं पर प्रौद्योगिकीविदों के लिए प्रशिक्षण।	17-03-2021	विशाखापत्तनम
14	हिंदी कार्यशाला	25-03-2021	वर्चुअल मोड, कोच्ची
15	संचालक श्री. रामचंद्रन नांबियार, उप निदेशक, आयकर विभाग एवं सचिव, कोच्ची-टॉलिक,	25-03-2021	वर्चुअल मोड, कोच्ची

निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित निर्यात के लिए उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण, मॉनिटरिंग, परीक्षण एवं प्रमाणन का कार्य दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं कोच्ची स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (निनिअ) द्वारा किया जाता है।

9.1 निर्यात निरीक्षण अभिकरण—चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुडुचेरी के अधिकार क्षेत्र में काम करता है, जिसमें भीमावरम, कोयंबटूर, हैदराबाद, नागरकोइल, नेल्लोर, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम में स्थित 7 उप कार्यालयों का नेटवर्क है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई द्वारा संभाल रही प्रमुख गतिविधियां:

- मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों, कुक्कुट मांस एवं कुक्कुट मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों, दुग्ध उत्पादों, फल उत्पादों, काली मिर्च, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण, आदि के तहत अनुमोदित प्रतिष्ठानों का आधिकारिक नियंत्रण।
- सूखे मत्स्य, शहद, काली मिर्च, मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों आदि के निर्यात के लिए परेषण-वार निरीक्षण।
- स्वैच्छिक योजना के साथ-साथ तुर्की योजना के तहत इकाइयों का प्रमाणन।
- रेक्स एवं जीएसपी, एसएपीटीए, आईएसएफटीए, आईटीएफटीए, आदि जैसे विभिन्न मुफ्त व्यापार करार के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान।
- निनिअ-चेन्नई मुख्यालय एवं उप-कार्यालयों की प्रयोगशालाओं में विभिन्न उत्पादों का परीक्षण।
- एफएसएसआई द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल प्रयोगशाला के रूप में आयातित खाद्य उत्पादों का परीक्षण।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने जलकृषि आदान

के पंजीकरण से पहले निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने के लिए विभिन्न जलकृषि आदान उत्पादों के परीक्षण के लिए निनिअ-चेन्नई प्रयोगशाला को मान्यता दी है। मत्स्य एवं मात्स्यिकी क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जलकृषि आदानों के परीक्षण के लिए, विशेष रूप से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (3) के तहत निषिद्ध पदार्थों के परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन, आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्रयोगशाला के रूप में निनिअ-चेन्नई प्रयोगशाला की सिफारिश की है।

9.2 निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली देश के पूरे उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए तथा उत्तरी क्षेत्र में जालंधर, लुधियाना उत्तर मध्य क्षेत्र में कानपुर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जयपुर मध्य क्षेत्र में इंदौर के कार्यालयों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रचालन करता है। निनिअ पोषण भोज्य एवं पूर्व मिश्रण के अलावा बासमती चावल, दुग्ध उत्पाद, शहद, पशु केसिंग की अनुमोदित इकाइयों के नियामक नियंत्रण में शामिल है। बासमती चावल परीक्षण के लिए निनिअ-दिल्ली की प्रयोगशाला आईएसओ 17025 : 2017 प्रमाणित है।

9.3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्ची

निनिअ-कोच्ची द्वारा संचालित प्रमुख उत्पादों में मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद (एफएंडएफपी) तथा काली मिर्च शामिल हैं। निनिअ-कोच्ची स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पाद, काली मिर्च, मसाले जैसे अन्य खाद्य उत्पादों के अनुमोदन एवं मॉनिटरिंग की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। निनिअ-कोच्ची में गैर-जीएमओ के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सुविधा है, जिसके आधार पर सभी निनिअ द्वारा गैर जीएमओ प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

9.4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता स्वैच्छिक योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों तथा खाद्य उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन प्रदान करता है। यह अधिमान्य एवं मुफ्त व्यापार करारों के अनुसार मूल के अधिमान्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

9.5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण— मुंबई

मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीधाम, पोरबंदर तथा वेरावल में स्थित उप कार्यालयों के साथ

निनिअ—मुंबई का महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा पर अधिकार क्षेत्र है। विभिन्न अधिमान्य प्रशुल्क योजनाओं के तहत मूलस्थान प्रमाण पत्र जारी करने के अलावा, निनिअ—मुंबई विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है, जिसमें प्रसंस्कृत फल उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, मत्स्य एवं मात्स्यकी उत्पाद, कुचली हुई हड्डियां, ओस्सीन, जिलेटिन, पशु केसिंग, काली मिर्च, चारा, पोषण भोज्य एवं पूर्व—मिश्रण, अन्य खाद्य उत्पाद आदि शामिल हैं। निर्यातकों को मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विवरण ऑनलाइन जमा करने पर जोर दिया जाता है।

निनिप एवं निनिअ के पते एवं संपर्क संख्याएं

1. निर्यात निरीक्षण परिषद

(वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) दूसरी मंजिल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली -110023
दूरभाष: 91 - 11 - 20815386 / 87 / 88
ई-मेल: eic@eicindia.gov.in

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण एवं उनके उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— मुंबई (मुख्यालय)

ई-3, एम.आई.डी.सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई, पिन: 400093, महाराष्ट्र
दूरभाष: 91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113
फैक्स: 91-22-23683927,
ई-मेल: eia-mumbai@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— मुंबई

उप कार्यालय: अहमदाबाद
305, मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने) रायपुर, अहमदाबाद, पिन: 380002, गुजरात,
दूरभाष: 91-79-2216 2398 फैक्स: 91-79-2216 2398
ई-मेल: eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण— मुंबई

उप कार्यालय: गांधीधाम

कमरा नं. एफ-01, एफ-02, पुराना प्रशासनिक कार्यालय, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम, पिन: 370230, गुजरात
दूरभाष: 91-2836-253036 | फैक्स: 91-2836-220 836
ई-मेल: eia-gandhidham@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: गोवा

वाई-15, 5 वीं मंजिल, बिल्डिंग ए-1, जयराम कोम्प्लेक्स, रुआ डे ओरेम, माला पणजी, पिन: 403001, गोवा,
दूरभाष: 0832-2222380 फैक्स: 0832 - 2222 380
ई - मेल: eia-go@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: पोरबंदर

4, भोजेश्वर प्लॉट, पोरबंदर, पिन: 360575 गुजरात
दूरभाष: 91-286-2246 376 फैक्स: 91-286-2246 376
ई-मेल: eia-porbandar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: राजकोट

शरद विला, 25, न्यू जगनाथ प्लॉट, राजकोट, पिन: 360001, गुजरात
दूरभाष: 91-281-2463 620 फैक्स: 91-281-2463 620
ई-मेल: eia-rajkot@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: रत्नागिरी

साहिल मेशन, शिवाजी नगर, मारुति मंदिर, रत्नागिरी, पिन: 415612, महाराष्ट्र
दूरभाष: 91-235-2222589 फैक्स: 91-235-2222589
ई-मेल: eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: वेरावल

पहली मंजिल, जयकिशन कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, न्यू चंद्रमौलेश्वर मंदिर, वेरावल, पिन: 362265, गुजरात
दूरभाष: 91-2876-220610 फैक्स: 91-2876-220610
ई-मेल: eia-veraval@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—मुंबई उप कार्यालय: बड़ौदा

कुबेर भवन, रूक नंबर -824, 'I' ब्लॉक, 8वीं मंजिल, कोठी के पास, बड़ौदा, पिन: 390001, गुजरात
दूरभाष: 91-265-2415706 फैक्स: +91-265-2415706
ई-मेल: eia-baroda@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — कोलकाता

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — कोलकाता (मुख्यालय)
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 14/1बी एज्रा स्ट्रीट, कोलकाता, पिन: 700001, पश्चिम बंगाल
दूरभाष: 91-33-22355004 / 22352651 / 22352652
फैक्स: 91-33-22354562
ई-मेल: eia-kolkata@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता—प्रयोगशाला

स्पेस 101, (पहली मंजिल), साउथ एन्ड कॉन्क्लेव,
1581, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता-700107
ई-मेल: eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

उप-कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोलकाता उप कार्यालय:
भुवनेश्वर

आईडीसीओ प्लॉट नंबर 45/ए/1, चंदका इंडस्ट्रियल
एस्टेट—पटिया भुवनेश्वर, पिन: 751 024, ओडिशा
दूरभाष: 91-674-2975868
ई-मेल: eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्ची निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्ची (मुख्यालय)

27/1767 ए, शिपयार्ड क्वार्टर्स रोड,
पनमपिल्ली नगर (दक्षिण), कोच्ची, पिन: 682036, केरल
दूरभाष: 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949
फैक्स: 91-484-2316948
ई-मेल: eia-kochi@eicindia.gov.in

उप कार्यालय

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्ची उप कार्यालय: बैंगलोर
दूसरी मंजिल, जीवन साम्पिगे बिल्डिंग,
नंबर 1/1, सेकंड मेन , सांपिगे रोड, मल्लेश्वरम,
बंगलौर, पिन: 560003, कर्नाटक
दूरभाष: 91-80-23444931 / 23567556
ई-मेल: eia-bangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—कोच्ची उप कार्यालय: कोल्लम

कोक्सिल बिल्डिंग की पहली मंजिल (बिल्डिंग सं. XLIII.948)
चिन्नक्कड़ा, कोल्लम -690 001 केरल
दूरभाष: 91-474-2749087 फैक्स: 91-474-2749087
ई-मेल: eia-quilon@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — कोच्ची उप कार्यालय: मैंगलोर

स्कूल बुक बिल्डिंग तीसरी मंजिल, टेम्बिल स्क्वायर, कार
स्ट्रीट, मैंगलोर, पिन: 575001, कर्नाटक
दूरभाष: 91-824-2496813 फैक्स: 91-824-2496 813
ई-मेल: eia-mangalore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — दिल्ली

निर्यात निरीक्षण अभिकरण — दिल्ली (मुख्यालय),
ठक्कर बापा स्मारक सदन, दूसरी मंजिल,
डॉ. अम्बेडकर मार्ग, (लिंग रोड) (झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के
पीछे), पिन: 110055, दिल्ली
दूरभाष: 91-11-23626320, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
फैक्स: 91-11-23626328
ई-मेल: eia-delhi@eicindia.gov.in

उप-कार्यालय:

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालय: इंदौर

303, कैप्टन सी.एस. नायडू आर्कड 10ध, 2,
ओल्ड पलासिया, इंदौर, पिन: 452 001, मध्य प्रदेश
दूरभाष: 91-731-2566057
ई-मेल: eia-indore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालय: जयपुर

201-202, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4, संसार चंद्र रोड, जयपुर,
जयपुर, पिन: 302 001, राजस्थान
दूरभाष: 91-141-2366 973 फैक्स: 91-141 - 2366 973
ई-मेल: eia-jaipur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालय: जालंधर

320, डब्ल्यू.जी.टी. रोड, बस्ती अड्डा जालंधर, पिन: 144
001, पंजाब
दूरभाष: 91-181-2403424 फैक्स: 91-181-2403 424
ई-मेल: eia-jalandhar@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालय: कानपुर

एमडी प्लाजा, 38/105, मेस्टन रोड (दूसरी मंजिल),
बड़ा चुराह के पास, कानपुर, पिन: 208 001, उत्तर प्रदेश
दूरभाष: 91-5122369 927 फैक्स: 91-512-2369 927
ई-मेल: eia-kanpur@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण—दिल्ली उप कार्यालय: लुधियाना

पहली मंजिल, एससीओ 17 (एनआरआई पुलिस स्टेशन के
पास) सेक्टर 39, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, पंजाब
पिन: 141010, दूरभाष: 0161 - 2410 083
फैक्स: 0161-2410 083

ई-मेल: eia-ludhiana@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई

निर्यात निरीक्षण अभिकरण – चेन्नई (मुख्यालय)

छठा तल, सीएमडीए टावर 2, नंबर: 1 गांधी इरविन रोड, एग्मोर, चेन्नई, पिन: 600008, तमिलनाडु

दूरभाष: 91-44-28552841 / 42 फ़ैक्स: 91-44-28552840

ई-मेल: eia-chennai@eicindia.gov.in

उप-कार्यालय:

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: भीमावरम

द्वार सं. 7-150, दूसरी मंजिल वेंकटराजू नगर चिन्नामीराम जुव्वालापलेम रोड, पश्चिम गोदावरी जिला, भीमावरम, पिन: 534204, आंध्र प्रदेश

दूरभाष: 91-8816-229075 फ़ैक्स: 91-8816-229075

ई-मेल: eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: कोयंबटूर

प्रथम तल, नोर्थ विंग, जवान भवन, नं. 27, ट्रैवलर्स बंगला रोड, कोयंबटूर, पिन: 641018, तमिलनाडु

दूरभाष: 91-422-2393365 फ़ैक्स: 91-422-2233365

ई-मेल: eia-coimbatore@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: हैदराबाद

नंबर 903, 9वीं मंजिल, राघव रत्न टावर्स, चिराग, अली लेन, हैदराबाद, पिन: 500018, आंध्र प्रदेश

दूरभाष: 91-40-23712224 फ़ैक्स: 91-40-23202224

ई-मेल: eia-hyderabad@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: नागरकोइल

75-ए, कोर्ट रोड, शंकर बिल्डिंग, नागरकोइल, पिन: 629001, तमिलनाडु

दूरभाष: 91-465-232704 फ़ैक्स: 91-4652-2327 04

ई-मेल: eia-nagercoil@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: तूत्तिकोरिन

नंबर 271, आईश्वर्या टावर्स, शिवंतकुलम रोड, तूत्तिकोरिन, पिन: 628003, तमिलनाडु

दूरभाष: 91-461-232061 फ़ैक्स: 91-461 -2339182

ई-मेल: eia-tuticorin@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: विशाखपट्टनम

डोर.सं. 43-18-10/4, टी.एस.एन. कॉलोनी, तीसरी मंजिल, हीरो होंडा शो रूम, विशाखापत्तनम, पिन: 530016, आंध्र प्रदेश

दूरभाष: 91-891-2747141 फ़ैक्स: 91-891 - 2747141

ई-मेल: eia-vizag@eicindia.gov.in

निर्यात निरीक्षण अभिकरण-चेन्नई उप कार्यालय: नेल्लोर

तीसरी मंजिल, साउथ विंग, जी.के.इंपीरियल टावर्स, दरवाजा नंबर 23, प्लॉट नंबर 468, किंग्स कोर्ट, मगुंटा लेआउट, नेल्लोर, पिन: 524003, आंध्र प्रदेश

दूरभाष: 91-861-359900 / 91-861-2354400

ई-मेल: eia-nellore@eicindia.gov.in



2020 – 2021

ANNUAL REPORT
EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Including Export Inspection Agencies)

Delhi/ Mumbai/Kolkata/Chennai/Kochi

(ENGLISH)

INDEX

Details	Page Number
<i>From Director's Desk</i>	
Chapter 1 Overview	7-13
Chapter 2 A Glance of activities and achievements	15-19
Chapter 3 Inspection and Certification Services	21-24
Chapter 4 Certificate of Origin	25-28
Chapter 5 Other Major Activities	29-40
Chapter 6 Progressive use of Hindi - The Official Language	41
Chapter 7 Computerization and Modernization	43
Chapter 8 Strengthening Manpower	45-49
Chapter 9 Network of Export Inspection Agencies	51-55

From Director's Desk

It gives me an immense pleasure to put across the Annual Report of the Export Inspection Council (EIC) for the year 2020-21 and to reinstate the EIC's commitment towards the export of safe food products from India across the globe. During the last year, the whole world, witnessed, what can be regarded as one of the biggest crisis of all times- the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. The disease presented an exceptional challenge to public health and food systems across the world.



The economic and social disruption caused by the pandemic was devastating. Millions of enterprises had to face an existential threat and disruption in the livelihood of the large portion of world's global population. The pandemic has affected the entire food system. Border closures, trade restrictions and confinement measures prevented farmers from accessing markets, including for buying inputs and selling their produce, and agricultural workers from harvesting crops, thus disrupting domestic and international food supply chains and reducing access to healthy, safe and diverse diets.

During these tougher times of the pandemic, EIC once again demonstrated its capacity to ascertain the export of the quality product from India in an unhampered manner thereby establishing its credibility not only among the India's export fraternity but across the globe, as one of the best trade facilitators and service providers. In line with Hon'ble Prime Minister's idea of "Turning Crisis Into Opportunity", many reforms were undertaken by EIC/EIAs during COVID-19 pandemic to ensure the smooth exports for the India. Exporters were encouraged to submit their request for certificate online. Scanned copies of issued certificate were provided to exporters through e-mails to allow them to stay at home and avail uninterrupted services. In absence of international courier services, the EIC requested importing countries to accept the soft copy of health certificates and not to insist on hard copies. The Certificates of Origin were issued online to facilitate clearance of consignments online. The EIC/EIAs engaged stakeholders through webinars and virtual meetings to facilitate export trade. This could only be possible due to the 'Nation Comes First' approach of the EIC and its employees.

The year 2020-21, also saw the restrictions in domestic and international travels owing to the pandemic. However, this could not dissuade EIC from capacity building and upgrading the skills of the employees. A variety of training programmes and Outreach programmes were conducted on Virtual Platform, following the COVID appropriate behaviour. These trainings and outreach programmes, have helped EIC to be at-par in context to the worldwide advancements in food and food technology. This year marked first anniversary of the International Training Centre for Food Safety & Applied Nutrition (ITC-FSAN) at EIA Mumbai. This facility is providing training to Food Business Operators (FBO) and exporters, as well as Hands On Training experience for laboratory personnel.

The EIC along with EIAs, field organisations, continues to deliver world class services to all the concerned stakeholders across India not only by certifying the quality of export commodities but also by inculcating the ownership values among the exporters through Outreach training programs and quality awareness

initiatives. For the very same reason it is quite clear that the EIC's certification for export is being recognized by many trading partners including European Union, USA, Custom Union, China, South Africa, Saudi Arabia, Bhutan, Turkey, Korea, Japan, Srilanka, etc.

As we enter into 2021-22, I would like to take the opportunity to put on record the efforts placed by one and all in providing EIC, a global paradigm recognition as most preferred and dependable partner for delivering quality and safe product. I would also like to convey my gratitude to the EIC family, trading partners, national/international stakeholders, members from export fraternity and others, for lending their support in these testing times of the global pandemic. We look forward for greater cooperation from all and more robust efforts to overcome any challenges in export trade.

Best wishes to all of you!! Stay Healthy and Safe!!

Jai Hind

Diwakar Nath Misra
Joint Secretary & Director, EIC

The Export Inspection Council (EIC) was established by Government of India under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to ensure sound development of export trade of India through Quality Control and pre-shipment inspection and for matters connected thereof. The EIC is an advisory body to the Central Government for notification of commodities which will be subjected to quality control and/ or inspection prior to export, establish standards of quality for such notified commodities, and also to specify the type of quality control and/or inspection to be applied to such commodities.

The EIC is the official export certification body of India as well as Competent Authority for the notified commodities. The major role of EIC is to ensure the Quality and Safety of products exported to meet the requirements of the importing countries. This assurance is provided through Consignment-Wise Inspection (CWI) system and/or Food Safety Management System based Certification (FSMSC) through its field agencies. The Exports Inspection Agencies (EIAs) established under Section 7 of the Act are located at Mumbai, Kolkata, Kochi, Chennai and Delhi with a network of 24 sub-offices having by state – of – the art laboratories which are accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) as per ISO 17025, all over India.

The EIC provides mandatory certification for various food products, namely, Fish & Fishery products, Milk and Milk Products, Honey, Egg Products, Frozen/Chilled Meat and Meat Products,

Fresh Poultry and Poultry Meat Products, Animal Casings, Crushed Bones, Ossein and Gelatin, Feed additives and Pre-mixture, Peanut & Peanut products (EU & Malaysia) and Basmati Rice (EU). The other food items that are not notified under the Act, are also being certified on voluntary basis. Exports certification is carried out through the EIAs and is based on a system approach including GHP/GMP/HACCP as well as specific requirements of the importing countries. With more than fifty years of experience in the field of inspection, testing and certification of food products as per importing country requirements, the EIC has been recognised globally.

In this era of changing dynamics of food safety regulations and certification, the EIC has transformed its role and functions to build up the confidence among the trading partners across the globe. The EIC has been instrumental in involving the stakeholders including exporter fraternity to meet the changing requirements of the importing countries with rising food safety concerns and technological upgradation.

The global trade of food is increasing significantly with the increasing international consumers and growing demands following the World Trade Organization (WTO) Agreements. There is a need to create awareness about the Sanitary and Phytosanitary (SPS) challenges and develop mechanisms to overcome these challenges posed by non-tariff measures in global food trade. The EIC has been playing a pivotal role in exploiting all possible opportunities for

equivalence and recognition. The delegations from importing countries evaluate the official control and risk management mechanism. The delegations from Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA); Department of Veterinary Services (DVS) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), Malaysia; General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC); Ministry of Health, Labour & Welfare (MHLW) Japan; Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Korea have visited this year and assessed the official control of EIC in inspection, testing, and certification.

The EIC always actively involved in standard setting process at national and international levels and provide feedback to ensure the interest of exporters are well protected. The EIC has adopted Quality Management System and is ISO 9001:2015 certified to ensure realization of its objectives.

CITIZEN'S CHARTER

Vision

- To facilitate worldwide access for Indian exports through a credible and efficient inspection and certification system and earn global recognition as India's premier organization for certifying quality and safety to meet international norms;

Mission

- To create an export inspection & certification infrastructure within the country, based on International Standards for Certification Authority in consonance with WTO requirements;
- To instil confidence in importers as well as regulatory authorities of India's trading partners about quality and safety of Indian products;

- To provide state-of-art testing facilities;
- To obtain recognition for EIC's Export Certification System from India's trading partners through Equivalence Agreements; to participate in international forum and protect Indian interest;
- To enhance capability of manpower through training to meet international requirements and keep abreast with latest technological advancements.


Values

- We are committed to act with integrity, judiciousness, transparency, accountability, courtesy and understanding in our dealings with the public.

Strength

- Experience of more than five decades in quality control, pre-shipment inspection and monitoring of commodities exported to all parts of the globe;
- Competent, skilled, qualified and trained manpower to perform inspection, testing and certification duties;
- State-of-Art NABL accredited laboratories as per ISO 17025 spread over EIC network for testing and quality assurance of notified commodities in compliance to International standards;
- A strong network of Export Inspection Agencies (EIAs), with jurisdiction all over India, strategically located at all major ports, important industrial and production centres;
- An organization backed by statutory powers under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 without any conflict of interest and official export certification body of India with global recognition through MOUs, Equivalence agreements etc.

ORGANIZATION CHART



Note:

- Sub-Offices indicated with Blue have laboratory facility and Grey without lab facility.
- Desk offices of EIAs are at the Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep islands.

The Major Activities Of The EIC:

- Approval of processing establishments based on Food Safety Management System to ensure safety and quality of commodities meant for export as per importing countries standards;
- Pre-shipment inspection and certification based on Consignment Wise Inspection (CWI) to assure quality of export commodities as per laid down specification;
- Issuance of Preferential Certificate of Origin for export products under various preferential tariff schemes;
- Issuance of different types of certificates, namely, Health Certificate, Authenticity Certificate, Non- GMO Certificate, etc. under various export certification schemes;
- Recognition of Inspection Agencies and Laboratories;
- Residue Monitoring Plans as per importing countries requirements;
- Collaboration with FSSAI for laboratory testing services and testing of samples drawn from import consignments of food products;
- Training and capacity building of industry and other stake holders in areas of Quality and Food Safety Management System;
- Monitoring TBT Notification by WTO member countries and their impact on India's Trade.

Council Members

As per the notification S.O. 3379 (E) – dated 29.9.2020, the Central Government reconstituted, the Export Inspection Council, as mentioned below:

Sl. No.	Name	Designation
(1)	(2)	(3)
1	Shri S. Kishore, IAS (WB:1989), Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Chairman
2	Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi	Member Secretary
3	Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Member-Ex-officio
4	Agriculture Marketing Adviser to the Government of India, New Delhi	Member-Ex-officio
5	Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata	Member-Ex-officio
Other members		
6	Director (Export Inspection), Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, New Delhi	Member
7	Joint Secretary, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India, New Delhi	Member
8	Chairman, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi	Member
9	Chairman, Marine Product Export Development Authority, Kochi	Member
10	Chairman, Spices Board, Kochi	Member
11	Joint Secretary, Ministry of Food Processing dealing with meat and meat products	Member
12	Joint Secretary, Plant Protection, Department of Agriculture, Co- operation & Farmer's Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India	Member
13	Chief Executive Officer, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL House, Plot 45, Gurugram, Haryana	Member
14	Advisor (Standards), Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road near Bal Bhawan New Delhi - 110002 India.	Member
15	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Member
16	President, All India Rice Exporters Association, New Delhi	Member
17	Vice Chancellor, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot 97, Sector 56, Kundli, Sonipat, Haryana	Member
18	Nominee Member from M/s Mineral Lab Services Pvt Ltd., 4th Floor, Karma Paes Avenue, F.L.Gomes Road, Vasco da Gama - Goa 403802	Member
19	Nominee member from M/s Mitra SK Pvt. Ltd., Holding no. 22/107, Ward no 9, P.O. Khanjan-chak, 1st Floor , Beside India Hotel, Haldia - Dist. PurbaMedinipur, West Bengal- 721602	Member
20	Nominee member from M/s Therapeutics Chemical Research Corporation, D.No. 25-12-39, 2nd Floor , Gidevari Street,Opp SBI Town Branch, Visakhapatnam 530001	Member

List Of Notified Commodities

The Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 empowers the Central Government, on the advice of the Council, to notify commodities

along with their standards for export, based on the requirements to safeguard trade from India. The various commodities notified under the Act are placed in Table (a) below:

Table (a): Commodities notified under the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963

Notified Commodities	Gazette Order(s) / Notification(s)/ Order (s)
Animal Casings	Order S.O.2947 dated 03.11.1997 and Notification S. O. 2948 dated 03.11.1997 subsequent amendment(s) vide Notification S.O.1315 (E) dated 08.6.2012. Notification S.O. 6332(E) dated 28.11.2018.
Basmati Rice	Order S.O. 67 (E) dated 23.01.2003 and Notification S.O. 68(E) dated 23.01.2003 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1139 dated 15.5.2004, Notification S.O. 716 dated 05.3.2005 and Notification S.O. 791 (E) dated 24.5.2006. SO 136 (E) dated 13.01.2016. Notification S.O. 6337(E) dated 28.11.2018.
Black Pepper	Order S.O. 245 dated 07.3.1988 and Notification S.O. 1311 dated 22.4.1991. Notification S.O. 6333(E) dated 28.11.2018.
Crushed Bone, Ossein & Gelatine	Order S.O. 725 (E) dated 03.4.2012 & Notification S.O. 726 (E) dated 03.4. 2012.
Egg Products	Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated 04.08.1997 and subsequent amendment(s) vide Order S.O.1442(E) dated 19.12.2003 and Notification S.O. 1443(E) dated 19.12.2003, Notification S.O.721 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1516 dated 16.06.2008. Notification S.O. 1952(E) dated 22.8.2012. Notification S.O. 6340(E) dated 28.11.2018.
Feed additives & Pre mixture	Order S.O 3523(E) and Notification S.O. 3524 both dated 28.11.2013. Notification S.O. 6339(E) dated 28.11.2018.
Fish & Fishery Products	Order 729 (E) dated 21.8.1995 subsequent amendment(s) vide Order S.O. 792 (E) dated 17.8.2001, Order S.O.722 (E) dated 10.7.2002, Order S.O. 464 (E) dated 24.4.2003, Order S.O. 1227 (E) dated 23.10.2003 and Order S.O. 1227 (E) dated 31.7.2006 and Principle Notification S.O. 730 (E) dated 21.8.1995 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 415 (E) dated 11.4.2002, Notification S.O.1029(E) dated 24.9.2002, Notification S.O.1034 (E) dated 9.9.2003, and Notification S.O.717 dated 25.02.2005, Notification S.O. 612 dated 15.02.2007, Notification S.O.1519 (E) dated 16.6.2008, Notification S.O.2714(E) dated 28.10,2009, Notification S.O. 143 (E) dated 21.01.2011 and Notification S.O. 497 (E) dated 10.3.2011. Notification S.O. 6341(E) dated 28.11.2018.
Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products	Order S.O. 1377(E) dated 30.12.2002 and Notification S.O. 1378(E) dated 30.12.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 719 dated 25.02.2005 and Notification S.O. 1517 dated 16.6.2008.
Fruit & Vegetable Products	Order S.O. 3352(E) and S.O 3353(E) both dated 28.10.2016. Notification S.O. 6338(E) dated 28.11.2018.
Honey	Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03.2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04.03.2002 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O. 1444 dated 19.12.2003, Notification S.O. 1245 dated 14.05.2004 and Notification S.O. 1581 dated 16.06.2008. Notification S.O. 6336(E) dated 28.11.2018.

Milk and Milk Products	Order S.O 4031(E) and Notification S.O 4032(E) both dated 09th November, 2020.
Peanut & Peanut Products	DoC letter dated 16 May 2013.
Raw Meat (Chilled / frozen)	Order S.O. 203 dated 15.01.1993 and Notification S.O. 204 dated 15.01.1993 and subsequent amendment(s) vide Notification S.O.205 dated 25.01.1993, Notification S.O.1989 dated 03.9.1993 and S.O 2221 dated 04.10.1993. Notification S.O. 6335(E) dated 28.11.2018.
Non-Basmati Rice	DGFT Notification No.29/2015-2020 dated 04.11.2019.

Agreements/Recognitions Of EIC Certification With Various Countries

The EIC, since its establishment is playing a crucial role in promoting trade through its quality control & inspection activities by ensuring compliance with the requirements of importing countries. The quality assurance activities of EIC help to facilitate world wide access for Indian exports and instil confidence in importers as well as importing countries authorities about quality and safety of Indian products. In line with the national and international needs, EIC continues to strive to have

Memorandum of Understandings (MoUs)/ Mutual Recognition Agreements (MRAs)/ Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation Arrangements with the major trading partners. These arrangements facilitate acknowledgement of EIC's Certification System by regulatory authorities of importing countries and avoid multiple border inspections.

The details of the existing Equivalence Agreements/ Recognitions/ Cooperation with major trading partners is listed

Table (b): Equivalence Agreements / Recognition/ Cooperation Arrangements

Country	Products Covered	Year of Agreement/ Recognition
USA(USFDA)	Black Pepper Confidentiality Commitment.	1988 2016
European Commission	Fish & Fishery Products, Basmati Rice, Animal Casing, Honey, Crushed bones, Ossein & Gelatin, egg products, peanut and peanut products, feed additive and pre-mixture, Spices (capsicum & curry leaves in all forms)	1997 onwards
Korea	Frozen marine products, processed spice goods, processed nuts, tea, honey, jam, preserved goods, sauce, sugar syrup, edible oil and fats	2004
Turkey	Food products, food packaging materials and stainless steel utensils	2004
Sri Lanka	85 products under the Import Inspection Scheme of Sri Lanka namely milk products, edible oils, packaged water, preserved food, toiletries, bicycle tyres & tubes, steel section & wires, electric goods & PVC cables & cords etc.	2005
Singapore	Food & agriculture (egg products, dairy products, drinking water), Electric & electronic products, Telecommunication equipment and Drugs & Pharmaceuticals	2005
Japan	Poultry & marine products	2005

Russian Federation Custom Union	Fish & Fishery Products Dairy Products	2009 2016
Saudi Arabia	Fish & Fishery Products	2009
China	Fish & Fishery products	2012
	Feed and feed ingredients	2013
	Rapeseed meal	2015
	Fish Meal and Fish Oil	2018
	Chili spent	2019
Bhutan	Food And Agricultural Products	2013
Netherlands	General Food Safety	2019

The EIC has transformed its resources and service quality with specific aim to fulfil the initiatives taken by Government of India on ease of doing business and digital India with core objective to provide increased opportunity for export of food commodities vis-a-vis International needs. The EIC is actively collaborating with other stakeholders, like, promotional boards, exporters, importing

countries authorities, industry associations, chambers of commerce in building infrastructure, skill upgradation, technical competence and analytical capability. The EIC is proactively involved in developing its own competence to meet any future challenges related to SPS measures imposed by different countries.

A GLANCE OF ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

Chapter 2

The Export Inspection Council (EIC), an advisory body to the Government of India, has successfully provided more than five decades of service to the nation. The major achievements are a shared effort of strong leadership, committed and motivated employees and support of all relevant stakeholders.

2.1 INTERNATIONAL COOPERATION

(a) Trading Partners continue showing confidence in EIC's Certification

- Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) Bhutan, has mandated requirement of EIC Certificate for Pork And Pork Products with effect from November 2020.
- In-order to facilitate the export trade from India to Japan, EIC and The Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (MHLW) have agreed on the new Health Certificate format for milk products w.e.f 01st October 2020 as per the importing country requirement.

(b) Export of Soyabean Meal as per Canadian requirement

On the reported incidents of African Swine-Fever disease in India, the Canadian authorities expressed the concern on probable contamination of Indian Soybean meal with African Swine-Fever virus. The timely intervention of EIC by endorsement of a questionnaire along with Certificate with effect from 31st July 2020 helped smooth export of Indian Soybean Meal to Canada.

2.2 TRADE FACILITATION AND MARKET ACCESS

(a) Export of Food Products to South Korea

The EIC was instrumental in facilitating the online registration of exporters for export of Food Products to South Korea which reduced the lead time from five to seven days to a single day. The EIC is always insisting trading partners for making processes online to the extent feasible, depending on the level of readiness at importing countries side.

(b) Veterinary Health Certificate for export of Collagen and Gelatin to South Korea

The Veterinary Health Certificate Format has been finalized with Animal and Plant Quarantine Agency (APQA), Korea to facilitate smooth export of Collagen and Gelatin to South Korea. The applicable date for the new format will be 29th March 2021.

(c) Desk review of export establishments by DGLAHS

In 2020-21, the EIC pursued with Directorate General of Livestock and Animal Health Services (DGLAHS), Ministry of Agriculture, Indonesia during (24-25 February 2021) and they have agreed for desk review of five Dairy and one Gelatin export establishments, which will expedite the approval process.

(d) Export of Dairy Products to Russian Federation

The EIC signed protocol with Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) for export of Dairy Products to Russian Federation. Recently, it has given to understand by the Embassy of India, Moscow, that four countries

except Kazakhstan have agreed to the Model Veterinary Certificate and all members needs to agree before market access is given. Accordingly, EIC has taken up the matter with Kazakhstan through Embassy of India in Kazakhstan. Once it has been agreed by all members of EAEU, export of dairy products to EAEU may be possible.

(e) Market Access Of Fishery Products to Vietnam

In 2020-21, the EIC through Department of Commerce has taken up with Vietnam, the market access for export of Fish Meal, Fish Oil, Fish Soluble Paste & Fish Soluble Powder.

2.3 CAPACITY BUILDING

Human resources is one of the biggest strength for EIC. There are well planned periodic capacity building initiatives to develop the skills and knowledge of all concerned stakeholders. EIC / EIA officers are deputed for trainings/ workshops and seminars at national and international level. Refresher programs are conducted by EIC/ EIAs under various schemes to familiarise the officers and staff about on-going developments. In addition, EIC/ EIA officers are deputed as resource persons in various programs coordinated by other stakeholders.

In order to achieve compliance with the requirements of international authorities, EIC take several initiatives from time to time to ensure that its stakeholders and exporter fraternity is well acquainted about the regulatory needs. Various outreach programmes have been conducted across India. In addition to above, EIC is one of the important stakeholders of the “Standards Conclave” organised jointly by Ministry of Commerce and Confederation of Indian Industries (CII).

EIC ORGANIZED JOINT WORKSHOPS WITH CFIA AND APEDA

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), EIC and APEDA in joint collaboration organized two Virtual Workshops i.e. **“Food Exports: Understanding Regulatory & Safety Standards”** on 1st December 2020 and **“Food Exports: Allergen Labelling Requirements”** on 5th March 2021, for the benefits of Indian exporters to understand the Canadian requirements. The technical experts from Canadian agencies explained the participants about allergen labelling requirements of Canada. This will help exporters in understanding Canadian Allergen Labeling Requirements which will help to reduce/prevent the rejections on this account. The events received huge response from the exporters and more than 150 participants registered for the workshop. Shri Diwakar Nath Misra, Joint Secretary, DoC & Director, EIC addressed the participants during the inaugural session of the workshops.



Shri Diwakar Nath Misra, Joint Secretary, DoC and Director, EIC addressing participants during CFIA-EIC- APEDA Joint Virtual Workshop on 05.03.2021

2.4 CODEX ACTIVITIES

The EIC, as a part of its endeavour to abreast itself about the global changes in food safety and quality requirements and to effectively address the issues concerning its mandate, has participated in the following Codex meetings/activities during the year 2020-21:


- Three webinars on Codex by The Confederation of Indian Industry, Food and Agriculture

of Excellence (CII-FACE) on the topics (i) Introduction to Codex Alimentarius (ii) Overview of Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (iii) Overview of Codex Committee on Food Labelling, during 27-29 May 2020.

- CCASIA Teleconference on 4th June 2020.
- Three webinars by The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) on the topics (i) Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) (ii) Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF) and Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), during 29th June – 01st July 2020.
- 43rd Session of Codex Alimentarius Commission (CAC) held virtually during 24-26 September, 12 & 19 October 2020.
- Series of webinars on 23-25 November 2020 by Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) and Codex Secretariat to provide an update on the status of ongoing work in CCMAS as well as to provide information on work by standards development organisations (SDOs).
- 32nd Session of Codex Committee on General Principles (CCGP), held virtually on 8th, 9th, 11th, 12th, 15th and 17th February 2021.
- Pre-session meetings for the 25th session of Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection systems (CCFICS25), held on 23rd March 2021 on Guidelines related to systems equivalence and 25th March 2021 on the Draft principles and guidelines for the assessment and use of

voluntary Third-Party Assurance (vTPA)

In addition to the above, officers from EIC/EIAs participated in electronic working groups (eWGs) and Codex Coordination Group (CCG) meetings pertaining to various Codex committees.



EIC participation in 32nd Session of Codex Committee on General Principles (CCGP) during February 2021




Participation in Webinar on Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification System (CCFICS) organized by FICCI on 1st July 2020

2.5 OTHER EVENTS AND ACTIVITIES

The year 2020-21 was an eventful year for EIC wherein numbers of National events were organized. All the events were celebrated in great spirit and full involvement of all employees. The events and activities were organized following the COVID appropriate behaviour. The EIC/EIAs observed several important activities during the year and brief details of these activities are given below:

Table (c): National Events 2020-21

NATIONAL EVENTS OBSERVED 2020-21			
S.No.	Activity	Description of Activity	Photographs
1	Anti Terrorism Day	Anti Terrorism Day was celebrated on 21st May 2020, wherein Pledge was taken during the event by the officers and staff, across all EIAs.	
2	International Yoga day	The International Yoga Day was celebrated at EIC/ EIAs on 21st June 2020. Yoga sessions were organized wherein talks were delivered on the importance and benefits of Yoga for Health, Happiness and Harmony. All officers and staffs performed yoga during the session.	
3	Hindi Pakhwada	The "Hindi Diwas/Pakhwada" was observed from 14-28 September, 2020 across EIC and EIAs. External experts were invited for hindi workshops. Various hindi competitions like Vaad-Vivaad Pratiyogita, Hindi Tippani & Nibandh Pratiyogita were conducted.	
4	Vigilance Awareness Week	Vigilance Awareness Week was observed at EIC/EIAs during 27 October to 02 November, 2020.	
5	Rastriya Ekta Diwas/ National Unity Day	A Pledge was taken at EIC/ EIAs during the celebration of "Rastriya Ekta Diwas/National Unity Day", on 31st October 2020.	

6	Swachhta Pakhwada	<p>The <i>Swachhta Week</i> was observed in EIC/EIAs during 01-15 November 2020. The theme for the pakhwada was “Plastic Waste Management). During the week activities like, Swachhta pledge, display of banners, outreach leaflet for awareness, cleaning of the office premises, deliberation with stake-holders on Swachhata awareness, were organized.</p>	
7	Communal Harmony Week and Flag day	<p>Communal Harmony Week was observed across EIC and EIAs from 19-25 November 2020 .</p>	
8	Celebration of Constitution Day 26th November 2020	<p>Reading of Preamble to Constitution of India; Preamble Reading Certificates to officers of EIAs</p>	

The EIC primarily follows two types of approaches for inspection and certification in respect of commodities under its mandate i.e. System based Inspection and Consignment-wise Inspection, which are elaborated below;-

a. Food Safety Management System based Certification (FSMSC).

The processing establishments conforming to Food Safety Management Systems based on HACCP/GMP/GHP are approved under Food Safety Management Systems based Certification. In addition, they also required to meet the primary production controls and finished product requirements specified by the importing countries. Currently, such systems are being promoted and implemented in many food products. In the case of fish & fishery products, poultry meat & poultry meat products, egg products, Crushed bone, ossein and gelatine, Government of India has made it mandatory that these products can be exported only from approved establishments covered under this system. In other food products, such as, black pepper, basmati rice, honey, etc. this system is also being adopted based on the requirements of the importing country.

In FSMSC based certification, the primary responsibility of the processors is to ensure that the products intended for exports are handled/processed, at all stages of production, stored and transported under proper hygienic conditions so as to meet the food safety requirements laid down under the rules and that the product conforms to the specification stated in the Order. To fulfil this responsibility, the establishments are required to plan and implement own system of checks and keep necessary records. The EIAs are required to verify compliance by the processing establishments as per the notification requirements.

b. Consignment Wise Inspection (CWI) System:

Under the Consignment Wise Inspection System, export consignment is inspected and tested by the EIAs. Samples are drawn as per statistical sampling plans, and tested to verify the conformity of products to the prescribed standards. This type of inspection is also offered for some notified commodities, e.g. Basmati Rice, Milk and Milk Products, Honey, Feed additives & Pre-mixtures, Fruit & Vegetable Products. The CWI is also offered under Voluntary Certification Scheme.

Table (d): The number of establishments approved by EIC/EIAs as on 31st March 2021

Number of Establishments Approved						
Under FSMSC	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL
Milk and Milk Products	26	75	7	0	53	161
Honey	0	17	0	0	0	17
Egg Product	3	1	2	0	1	7
Fresh Poultry Meat & Poultry Meat Products	5	1	4	0	6	16
Fish & Fishery Products	253	0	249	114	234	850
Black Pepper	0	0	13	0	8	21
Animal Casings	0	1	0	0	3	4
Feed Additives & Pre Mixtures	6	6	2	1	8	23
Basmati Rice	0	33	0	0	1	34
Fruit Products	21	6	0	1	41	69
Rape Seed Meal	0	1	0	0	3	4
Voluntary Scheme	15	8	11	0	53	87
Raw Meat (Chilled/Frozen)	0	0	0	0	1	1
Soybean Meal	0	1	0	0	0	1
Total	329	150	288	116	412	1,295

Table (e): Export Certification

Details of Export Certification Under Different Schemes During 2020-21					
	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI
Health Certificate under Food Safety Management System (FSMS)	23,156	7,173	9,874	9,419	21,196
Health Certificate under Consignment Wise Inspection(CWI) System	2,164	2,828	112	262	3,973
Non-GMO Certificates	353	2,945	1,192	0	2,601
Health Certificate under Food Safety Management System (VCS)	511	2,290	16	0	9,334
Certificates issued under Turkey Scheme	108	229	55	0	326
Authenticity Certificates	0	876	0	0	187

3.1 Certification Scheme For Fish And Fishery Products

Under the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, vide Gazette Notification No. 730 (E) dated 21 August 1995, as amended from time to time, compulsory pre-shipment certification of Fish and Fishery Products is being carried out. There are 850 approved fish and fishery products processing establishments approved during 2020-21 for export.

3.2 Certification Scheme For Fruit & Vegetable Products

Order S.O. No. 3352 (E) and Notification No. S.O. 3353 (E) both dated 28.10.2016 related to export of fruit & vegetables products have been published in Gazette of India on 31.10.2016. The new order has superseded the Principal Order S.O.1420 dated 13.05.1978 and Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules 2016 have been notified by notification S.O.3353 (E) in supersession of the Export of Fruit Products (Quality Control and Inspection) Rules 1978. The above order notifies that fruit and vegetable products shall be subject to quality control or inspection or both prior to export in cases where importing countries requires such export certification. The EIC through its EIAs is implementing the scheme and there are total 69 approved establishments under the scheme as on 31 March, 2021.

3.3 Certification Scheme For Issuance Of Health Certificate For Peanut & Peanut Products

The EIC has been entrusted with the responsibility of issuing health certificates for peanut and peanut products meant for export to EU and Malaysia in 2013.

3.4 Certification Scheme For Egg Product

The EIC is implementing the scheme for export of egg products in terms of Order S.O. 2077 dated 04.08.1997 and Notification S.O. 2078 dated

04.08.1997. The establishments are approved and monitored by EIAs. The major destination for the export of egg products are EU, Australia, Japan, Custom Union etc. EIC has also taken up the initiatives to explore market access/ resolve operational issues for export to several other countries, like, Indonesia, Malaysia, Australia, South Africa, etc. As on 31.03.2021, a total of seven establishments have been approved for egg products.

3.5 Certification Scheme For Fresh Poultry Meat And Poultry Meat Products

The export of fresh poultry meat and poultry meat products was brought under purview of The Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide GOI Order and Notification S.O. 1377(E) and S.O 1378(E) both dated 30.12.2002, and further as amended from time to time. As on 31.03.2021, a total of 16 units have been approved under EIAs.

3.6 Certification Scheme For Milk and Milk Products

The EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of Milk and Milk Products. This scheme was notified vide Order S.O 4031(E) and Notification S.O 4032(E) both dated 09th November, 2020. The major products exported from India includes milk powders, casein & its derivatives, cheese, butter, canned sweets, frozen paneer, ghee etc. The EIC has taken up the market access issue for export to Russia, Malaysia, China, Indonesia and Mexico.

3.7 Certification Scheme For Basmati Rice

The amendment to Principal order S.O. 67 (E) dated 23 January, 2003 of basmati rice was published vide S.O. 136(E) dated 13 January, 2016. Total 34 numbers of Basmati Rice Units are approved as on 2020-21, with 33 under the official control of EIA Delhi and one under EIA Mumbai.

3.8 Certification Scheme For Honey

The EIC is operating a scheme for export

certification of honey. This scheme was notified vide Order No. S.O. 276 (E) dated 04.03. 2002 and Notification S.O. 277 (E) dated 04 March, 2002 and subsequent amendments from time to time. There are 17 honey processing units approved by EIC under FSMSC. Currently, the export of honey from India is going on smoothly to USA, European Union and other non EU destinations.

3.9 Certification Scheme For Raw Meat (Chilled/Frozen)

Export of Raw meat (chilled/ frozen) is notified vide Order / Notification No. S.O. 203 & S.O. 204 dated 15 January, 1993 and EIAs were notified as one of the agencies to issue health certificate for export purpose. The Export of Raw Meat (Chilled/ Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, have been amended for quality control and certification procedure under food safety management system based certification, which was published vide Notification S.O.3023 (E) and S.O.3024 (E) both dated 28th December, 2012. EIC has been extending technical support to stakeholders by participating in the assessment team.

3.10 Certification Scheme For Feed Additives And Premixtures For Export

EIC is the Competent Authority to exercise official control for export of feed additives & pre mixtures. The major products exported include mineral and vitamin supplements, binders, zoo technical additives etc. which are primarily exported to EU countries. The export of Feed Additives and Pre-mixtures is brought under the purview of export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 vide order No. S.O. 3523 (E) and notification Vide no. S.O. 3524 (E) dated 28 November, 2013 as amended from time to time.

3.11 Certification Scheme For Crushed Bones, Ossein & Gelatine For Export

For maintaining the highest quality of export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine, from India, the commodity was notified vide Order and Notification both dated 3 April 2012 called The Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rule, 2012. As per the Notification, EIC is recognised as the Central Competent Authority.

3.12 Certification Scheme For Animal Casings For Export

The EIC is designated as the Competent Authority for export of Animal Casings vide Notification S.O.1315 (E) dated 8th June 2012. The major export of animal casings takes place to EU countries. Three establishments were approved for export purpose. The exporters can apply online for obtaining health certificates.

3.13 Issuance Of Health Certificate For Export Of Food Products Under Voluntary Certification Scheme

Regulatory authorities/ buyers of several importing countries insist for health certificate/ certificate of export worthiness for export of certain food, feed and food contact materials which are not notified under EIC's Act. Considering this requirement of importing regulatory authorities and to facilitate the exports from India, health certificates are issued by EIAs as per the requirement of importing countries. The salient features of the scheme include issuance of Health Certificate for consignments which conforms to the requirements of the regulatory authorities' of importing countries /buyers' requirements/ relevant National standards as applicable. The scheme authorizes exporter himself to draw the sample and get it tested which reduces the lead time for export.

The introduction of the Registered Exporter system (the REX system) in 2017-18 saw the smooth implementation of the REX registration system, at all EIAs and sub offices in 2018-19, 2019-20 and 2020-21. The REX is based on the principle of self-certification by economic operators who will make *statements on origin*. The REX system was introduced in the GSP rules of origin by the amending Regulation (EU) No 1063/2010 dated 18.11.2010 in the context of the reform of the GSP rules of origin in 2010. While the other elements of the reform have taken their effect from 1 January 2011, the application of the REX system

was deferred to 1 January 2017, to give enough time to the GSP beneficiary countries to be ready. Export Inspection Council is one of the Competent Authority among the 16 other organizations designated by Department of Commerce to register the exporters in REX system. Trainings and awareness programmes were organised during the year for the exporters or economic operators all over India. Further, the EIAs issued total **3,80,717**, Preferential Certificates of Origin under various FTAs as per laid down procedures and guidelines, as detailed in table below.

Table (f): Certificates of Origin issued during the year 2020-21

Certificates of Origin Issued During The Year 2020-21							
S.NO.	SCHEME	EIA CHENNAI	EIA DELHI	EIA KOCHI	EIA KOLKATA	EIA MUMBAI	TOTAL
1	GSP	16,721	21,069	14,048	4,289	31,411	87,538
2	GSTP	1,181	1,587	584	74	4,648	8,074
3	SAPTA	94	233	62	16	1,093	1,498
4	ISFTA	2,001	2,503	469	477	4,451	9,901
5	ITFTA	32	23	78	-	298	431
6	ISCECA(Singapore)	1	-	9	-	-	10
7	SAFTA	3,521	15,024	841	15,296	11,569	46,251
8	APTA	3,421	2,792	1,025	1,249	14,157	22,644
9	ICPTA(Chile)	1,313	2,317	621	414	5,658	10,323
10	IMPTA(Mercosur)	60	82	4	1	160	307

11	AIFTA	19,934	25,504	10,067	3,951	55,798	115,254
12	IKCEPA	10,482	9,137	3,703	976	20,639	44,937
13	IMCECA	315	705	63	44	1,222	2,349
14	IJCEPA	4,382	9,969	3,056	2,854	10,939	31,200
15	India Mauritius	-	-	-	-	-	-
	Total	63,458	90,945	34,630	29,641	162,043	380,717

Brief details of 15 PTAs / FTAs under which Certificates of Origin are presently issued by EIC/EIAs are as follows:

4.1 Generalized System of Preferences (GSP)

The Generalized System of Preferences (GSP) is a formal system of exemption from the general rules of the World Trade Organization (WTO), privileged to be treated as the most favoured nation principle (MFN). Under this system, total 87,538 were issued by EIAs during 2020-21. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21 are 229.

4.2 Global System of Trade Preferences (GSTP)

The Agreement was signed on 13 April, 1988 and came into force with effect from 19 April, 1989. Forty-four countries have become participants after endorsing the Agreement and getting the trade concessions among the members of the Group of 77. The coverage of the GSTP extends to arrangements in the area of tariffs, para-tariff, non-tariff measures, direct trade measures including medium and long-term contracts and sectorial agreements. Under this system, total 8,074 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.3 Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)

This Agreement promotes economic development through a continuous process of trade expansion among the developing member countries of

ESCAP and to further international economic co-operation through the adoption of mutually beneficial trade liberalization measures consistent with their respective present and future development and trade needs. Under this system, total 22,644 certificates were issued by EIAs during 2020-21. 117 Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.4 Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)

The Contracting States establish the South Asian Free Trade Area (SAFTA) to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchange of concessions in accordance with this Agreement. It promotes and enhances mutual trade and economic cooperation among the Contracting States, through exchanging concessions in accordance with this Agreement by eliminating trade barriers, promoting conditions of fair competition in the free trade area, creating effective mechanism for implementation and application of the agreement. The SAFTA Agreement came into force on 1st January, 2006. Under this system, total 46,251 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.5 Indo-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA)

The objective of this Agreement is to promote the expansion of trade and harmonious development of economic relations between India and Sri Lanka, provides fair conditions of competition for trade between India and Sri Lanka. Under this system, total 9,901 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.6 India Japan Comprehensive Partnership Agreement (IJCEPA)

India Japan Comprehensive Partnership Agreement was signed on 16 February 2011. The objectives of this Agreement are to liberalize and facilitate trade in goods and services; increase investment opportunities and strengthen protection for investments; ensure protection of intellectual property, promote cooperation for the effective enforcement of competition laws; improve business environment; establish a framework to enhance closer cooperation in the fields agreed in the Agreement; and create effective procedures for the implementation and application of this Agreement and for the resolution of disputes. Under this system, total 31,200 certificates were issued by EIAs during 2020-21. 16 Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.7 India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)

India Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement was signed on 7 August, 2009. The objectives of this Agreement are to liberalise and facilitate trade in goods and services and expand investment, establish a cooperative framework for strengthening and enhancing the economic relations; promote conditions of fair competition in the free trade area; establish a framework of transparent rules to govern trade and investment. Under this system, total 44,937 certificates were

issued by EIAs during 2020-21. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21 are 4.

4.8 India- MERCOSUR Preferential Trade Agreement (IMPTA)

India Mercosur PTA was signed between Mercosur, a trading bloc in Latin America, and India on January 25, 2004. The Framework Agreement for the creation of a Free Trade Area between MERCOSUR and the Republic of India to expand and strengthen the existing relations and promote the expansion of trade by granting reciprocal fixed tariff preferences with the ultimate objective of creating a free trade area between the parties. Under this system, total 307 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.9 Preferential Trade Agreement (PTA) with Chile

India Chile Preferential Tariff Agreement was signed on March 8, 2006. The objectives of the agreement are to promote the expansion of trade and harmonious development of the economic relations between the two countries, provide fair conditions of competition for trade and removal of trade barriers. Under this system, total 10,323 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.10 India-ASEAN Agreement

The Agreement on Trade in goods signed on August 13, 2009 under the framework agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of South-East Asian Nations shall apply to trade in goods and all other matter relating thereto as envisaged in the Framework Agreement. Under this system, total 1,15,254 certificates were issued by EIAs during 2020-21. Total Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21 are 15.

4.11 India Afghanistan Free Trade Agreement (IAFTA)

The objectives of this Agreement are to promote through the expansion of trade the harmonious development of the economic relations and to provide fair conditions of competition for trade between India and Afghanistan.

4.12 SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)

The Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement was signed on April 11, 1993. The contracting states establish the SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) to promote and sustain mutual trade and the economic cooperation among the Contracting states, through exchanging concessions in accordance with this Agreement. Under this system, total 1,498 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.13 India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (ISCECA)

The objectives of India Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement is to strengthen and enhance the economic, trade and investment cooperation; liberalise and promote trade in goods and services, improve the efficiency and competitiveness of their manufacturing and services sectors and to expand trade and investment, to explore new areas of economic cooperation and develop appropriate measures for closer economic cooperation; to facilitate and enhance regional economic cooperation and integration. Under this system, total 10 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.14 India Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement

The CECA will progressively liberalize trade in services on a preferential basis, with substantial sectoral coverage, including Movement of Professionals and Skilled Persons, Cross-border Supply, and Telecommunications Services to provide commercially meaningful market access. The market access commitments under the CECA provide for more liberal tariff concessions, including faster timelines and reduced exclusion lists, than in the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The CECA includes economic cooperation in areas such as infrastructure development, creative industries, tourism, SMEs, business facilitation, science and technology, and human resource development. Under this system, total 2,349 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

4.15 India Thailand Free Trade Agreement

The Governments of the Republic of India and the Kingdom of Thailand shall make efforts to create favourable conditions for greater economic cooperation and promote fair competition; progressively liberalize and eliminate barriers to trade in, and facilitate the cross-border movement of goods and services on a reciprocal basis as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime; and explore new areas and develop appropriate measures for closer economic cooperation between the two countries. Under this system, total 431 certificates were issued by EIAs during 2020-21. No Post Verification (PV) requests received under this scheme in 2020-21.

5.1. NEW DEVELOPMENTS AT EIC AND EIAS

5.1.1 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) facility at EIA Mumbai.

Facility for analysis of origin and authenticity using Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) has been established at EIA-Mumbai. Department of Commerce has decided that with effect from 1st August 2020, all consignments of Honey destined to USA will be subjected to NMR testing, as USA expressed concern over origin of Honey exported from India. EIA-Mumbai Laboratory has got accreditation as per ISO-17025:2017 for analysis of geographical origin and adulteration in honey using NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Spectroscopy.

5.1.2 First anniversary of ITC-FSAN at EIA Mumbai.

ITC- FSAN (International Training Centre for Food Safety and Applied Nutrition), a joint initiative of Export Inspection Council (EIC) and Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in association with Global Food Safety Partnership (GFSP), an initiative of the World Bank, celebrated its 1st Anniversary on 22nd September 2020. This facility conducts training programmes with respect to the food safety for the various stake holders in the food chain including various Food Business Operators (FBO), exporters etc. The Hands On Training facility (HoT) at ITC-FSAN imparts practical training for the analysis of residues and contaminants in food to the laboratory personnel from India and neighboring countries. The Centre has conducted more than 150 programs and trained over 30,000 individuals in one year.



Shri Diwakar Nath Misra, IAS , Joint Secretary & Director , EIC delivered key note address on the occasion first anniversary celebration of ITC-FSAN(International Training Centre - Food Safety and Applied Nutrition)..

5.1.3 Review meeting of EIC by CIM

The Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal, chaired a meeting on 12th June 2020, through video conference, to review the working of the Export Inspection Council (EIC), the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and the Marine Products Export Development Authority (MPEDA). During the meeting, Hon'ble CIM emphasized on the use of technology to minimize human interface.

5.1.4 Digital Initiatives for Ease of Export: Common digital platform (CDP) for CoO

The Common Digital Platform for Issuance of Certificate of Origin (CoO) by DGFT was launched by Hon'ble Commerce Minister on 16 September 2019. The CDP provides a single point access to all the designated agencies authorized to issue Certificate of Origin and ease of doing business for the exporters as there is no need to visit offices. Since then following preferential schemes of CoO have been made Live on this online platform and EIAs are issuing certificate of origin through this platform only.

Sr. No.	Name of Preferential scheme	Date on which made Live on CDP
1	India Chile PTA	25 September 2019
2	SAFTA & SAPTA(for Nepal Only)	18 December 2019
3	India Korea CEPA	6 March 2020
4	AIFTA	7 April 2020
5	SAFTA & SAPTA(for Bangladesh, Bhutan, Maldives, Pakistan and Sri Lanka)	7 April 2020
6	Asia Pacific Trade Agreement	7 April 2020
7	India Sri Lanka FTA	7 April 2020
8	GSP, GSTP, India-Malaysia CECA, India-Singapore CECA	15 October 2020

The EIC had been very instrumental in designing and development of CDP and provided inputs on processes to be followed for registration by exporters, application filing by the exporters, issuance of certificates by the officers, specific requirements

and standard formats of CoO under various FTAs etc. The EIC/EIA offices actively participated in the beta testing of this platform and provided the inputs for further improvisation before its launch.

5.1.5 Facilitation of Soybean meal export from India to Canada

Recently, in mid-2020, Canada had come with a new requirement in terms of risk of transmission of African Swine Fever (ASF) and mentioned that export of plant based meal (soybean meal) from India to Canada should be accompanied with a questionnaire duly endorsed by the Competent Authority from India. In this connection, Industry and Canadian High Commission had approached EIC and a proposal was sent to Department of Commerce to allow EIC for endorsement of questionnaire. Based on the approval received from DoC on 31 July 2020, the EIAs are carrying out endorsement of the questionnaire as per Canadian requirement to facilitate the export trade of soybean meal.

5.2 INITIATIVES TAKEN BY THE EIC DURING COVID-19

- Technologists of establishments were permitted to draw samples instead of sampling by EIA Officials/approved samplers from Labs.

- Private laboratories were permitted to undertake testing.
- Extension in “Renewal of Approval of Establishment” was granted to establishments based on past performance.
- Health Certificates under Voluntary Certification Scheme were issued base on in-house test reports and not insisting on private lab test report.
- Due to disrupted courier services, authorities of Competent Authorities were requested to accept soft copy of Health Certificate instead of insisting for hard copy. Scanned copies of HCs shared with authorities through official e-mails wherever importing countries required so.
- Self –sampling was allowed to rice exporters under Consignment-Wise Inspection (CWI) scheme.
- In some cases, exports are allowed and samples are tested on post-facto basis to facilitate.
- Electronic Certificate of Origin (e-CoO) were issued by EIAs through Common Digital Platform (CDP) and also manually (in case of schemes not available on CDP).
- More than 12,000 Health Certificates and 37,500 CoO have been issued during COVID-19 period.
- Challenges and difficulties faced by export fraternity were addressed and resolved on fast track basis.
- Officers from EIC/EIAs have actively participated in various Webinars and Virtual Meetings during COVID-19. International Training Centre for Food Safety and Applied Nutrition (ITC-FSAN) at EIA-Mumbai has conducted more than 25 training sessions for the benefit of various stakeholders.

During COVID-19 period, the offices followed the guidelines issued by Government of India/State Governments from time to time and operated with skeletal staff in close coordination with local administration. Every care and safe guard measures are being taken to protect the EIC/EIA employees and to prevent further spread of virus. Non-stop services were provided by EIAs to the export fraternity by working during odd hours as well as working from home and the same has been appreciated by the exporters.

5.3 LABORATORY ACTIVITIES & ACHIEVEMENTS

Laboratories are the backbone of EIC’s Export Control Program and the EIC has a strong network of laboratories to carry out the testing of samples. There are five food testing laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), located at Bhubaneswar, Chennai, Kolkata, Kochi and Mumbai, which supports the respective Export Inspection Agency (EIA) in Certification of food products for export. The EIAs also have field laboratories attached to its Sub-offices for routine microbiological analysis. Further, a food grain testing laboratory is located at EIA-Delhi, which is also accredited as per ISO 17025:2017.

Besides EIA labs, as per the EIC’s Integrated Lab Assessment Scheme (ILAS), approval is granted to external laboratories for the purpose of testing of commodities as per importing countries requirements. The total number of NABL accredited approved external laboratories as on 31 March, 2021 are 50.

5.4 MAJOR ACTIVITIES/ACHIEVEMENTS OF EXPORT

INSPECTION AGENCIES (EIAs) 2020-21

5.4.1 EIA Chennai

- EIA-Chennai laboratory participated in Three (03) PT programme conducted by EIA-Mumbai PTH Laboratory and M/s Test Veritas during 01.01.2020, 27.11.2020 and 12.03.2021. The results achieved were satisfactory.

- During COVID pandemic situation, issuance of test reports as per turnaround time was done by the laboratory.
- The shifting of Laboratory of EIA-Chennai S.O. Visakhapatnam Laboratory from Old premises to new premises was done during August 2020.

5.4.2 EIA Delhi

- EIA Delhi Laboratory has continued compliance to NABL accreditation as per ISO/IEC 17025:2005. The certificate for Renewal of accreditation under integrated assessment as per ISO 17025:2017 was issued on 02 January 2021.
- The laboratory had participated in PT programme during the period of 2020-21 in addition to internal quality control checks as per quality management system requirement to assure the validity of test result and demonstrate technical competency as mentioned below: *Scheme delivered by accredited PT Provider conducted in accordance with the requirements of international standards ISO/IEC 17043: 2010.* Based on the certificate of participation received by the above mentioned PT provider the Z/Z' score is satisfactory.

5.4.3 EIA-Kochi

- EIA-Kochi Lab has successfully completed Surveillance assessment and continued accreditation of EIA-Kochi laboratory as per ISO/IEC 17025: 2017 during the year 2020-21.
- EIA-Kochi Lab has submitted the application to NABL for accreditation as per ISO 17043 for PT Provider, GMO after successful organization of PT Program in 2020-21.
- Successfully completed First Surveillance assessment by NABCB Auditors and continued accreditation of EIA-Kochi H.O. as per ISO/IEC 17020: 2012.

5.4.4 EIA Kolkata

- Method Published on determination & uncertainty analysis of Inorganic arsenic in rice by UHPLC-ICPMS.
- Transition assessment of Lab from ISO/IEC 17025: 2005 version to 17025:2017 version.
- PT Provider activity as per ISO 17043 –Organized PT program in Heavy metals for various matrices as per PT calendar 2020.
- ANRL activity assigned by FSSAI – Organized one PT program in heavy metals in fish material for FSSAI approved laboratories.
- Successfully participated in all PT program as per the requirement of ISO 17025:2017.
- The NABL Surveillance Assessment of Export Inspection Agency-Kolkata Sub office Bhubaneswar (Laboratory) was conducted through virtual mode during 18-19 December 2020.

5.4.5 EIA Mumbai

- Achieved Renewal accreditation status of Chemical and biological testing in accordance with ISO/IEC 17025:2017.
- Achieved accreditation status of NMR testing of honey in accordance with ISO/IEC 17025:2017 in year 2020-21.
- Laboratory has started the testing services for the determination of origin criteria and adulteration in honey samples by using NMR to facilitate the trade from August 2020. To ensure public safety, 52 no's of Honey Samples drawn and submitted by Food safety Commissioner of Maharashtra was analyzed/reported from EIA-Mumbai Laboratory using NMR.
- Ethylene Oxide (including 2-Chloroethanol) analysis method has been developed and Validated in sesame seeds successfully.

- Completed method development and validation for Chloramphenicol and Nitrofurantoin Metabolite parameters (4 compounds) in animal casing as per EIC-RMP 2021-22.
- Successfully participated in 8 Proficiency Testing Programs (Chemical, Microbiology & Molecular biology parameters) during 2020-21 period and scored satisfactory performance as part of Random cross-checking to ensure competency in testing.

5.5 RECOGNITION OF INSPECTION AGENCIES

- The Government of India recognises private inspection agencies on recommendation of EIC as per EIC Inspection Agency Recognition Scheme 2012, falling under "A" category with laboratory facilities, for carrying out pre-shipment inspection and certification of the

notified minerals and ores under Section 7 (1) of the Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963. This scheme is in line with the initiative of Government of India for ease of doing business and to facilitate export trade by providing appropriate infrastructure for inspection & testing at strategic locations.

5.6 E- HEALTH CERTIFICATION SYSTEMS

- The EIC is authorized to issue Health certificate for notified food products. The health certificate for non-notified food commodities is also issued, wherever importing country authority require such certificate, under voluntary certification scheme. The numbers of certificates issued during 2020-21 through e-certification are 87,508 as per break-up given in Table (h)

Table (g): Certificates issued under E- Health Certification System 2020-21

S.No.	Certificate Format	Certificate Issued
1	Fishery General Format (Non-EU)	29,857
2	Other-Products Voluntary	20,912
3	Fishery China	10,950
4	Fishery EU	8,849
5	Other-Products Non-GMO	8,065
6	Milk Non-EU	3,570
7	Fishery Russia	1,026
8	Egg Non-EU	904
9	Other-Products Turkey	897
10	Peanut Products Malaysia	823
11	Peanut Products EU	796
12	Fishery EU Format-Non EU Country	550
13	Fishery GCC Countries	214
14	Fishery Israel	59
15	Egg EU	27
16	Animal Casing EU	9
	Total	87,508

5.7 ISSUANCE OF NON- GMO CERTIFICATE

The Non GMO certificates for agricultural & food commodities are issued by the Export Inspection Agencies (EIAs). A total of 8,065 Non-GMO Certificates have been issued for different agricultural & food Commodities in the current year. The samples are tested for Non-GMO at EIA Kochi and EIA Mumbai.

5.8 ISSUANCE OF AUTHENTICITY CERTIFICATE

European Commission has recognized EIC/EIAs as Competent Authority for issuance of Certificate of Authenticity for export of Basmati Rice to EU as per Council Regulation (EC) No. 797/2006. Accordingly, EIAs are issuing Certificate of Authenticity for Basmati Rice exported to EU. During the year, 1,063 Certificates of Authenticity for Basmati Rice were issued by EIAs for export to EU countries.

5.9 RESIDUE MONITORING PLAN

Residue Monitoring Plans (RMP), which guarantees the monitoring of the groups of residues and substances referred to in Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017, is one of the pre-requisites for export of food of animal origin to the EU. Accordingly, EIC has been implementing various Residue Monitoring Plans in line with EC requirements for different foods of animal origin. As per EU Regulation, the EIC prepared and submitted the RMPs for Egg

products, Honey, Milk products and Fresh poultry meat & poultry meat products for the year 2020-21.

During 2020-21, 9,463 samples were tested against RMP and National Residue Control Plan (NRCP):

Table (h): Samples Tested under Residue Monitoring Plan 2020-21:


National Residue Control Plan(NRCP) / Residue Monitoring Plan(RMP) Data : 2020-21	
Product	Number of Samples tested under NRCP/RMP for 2020-21
Aquaculture Products	7,941
Egg Products	200
Honey	426
Poultry Meat Products	596
Milk Products	300
Total	9,463


5.10. OTHER ACTIVITIES:

5.10.1 Project on Monitoring of TBT Notifications issued by World Trade Organization (WTO) Member countries:


The EIC is implementing the “Project on System for Monitoring TBT Notifications issued by WTO Member countries”. The monthly, quarterly and annual reports were submitted to Trade Policy Division, Department of Commerce and are also made available on EIC’s website.

TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st April 2020 to 30th June 2020







TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st July 2020 to 30th September 2020




TBT Notification Country-wise Top 15 During 1st July 2020 to 30th September 2020




TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st October 2020 to 31st December 2020




TBT Notification Country-wise Top 15 During 1st October 2020 to 31st December 2020



TBT Notification Product-wise Top 15 During 1st January 2021 to 31st March 2021





Total 3,427 notifications were issued by the various WTO-member countries during 2020-21 including 53 notifications by India. Quarterly distribution of these notifications in terms of country-wise and product-wise is given in the above charts. The analysis of these notifications was carried out to study their impact on Indian industry/trade and comments were sought from relevant stakeholders to ensure that there is no problem of market access for these products. Based on the feedback received from stakeholders and analysis of notifications, wherever applicable, India's

comments were sent by Export Inspection Council (EIC) to the respective enquiry points.

5.10.2 Implementation of Right to Information Act

The Export Inspection Council (EIC) and its field organizations, Export Inspection Agencies (EIAs) are committed to comply with the requirements of the RTI Act 2005. The summary of the applications and first appeals received at EIC/EIAs under RTI Act 2005 in the year 2020-21 along with the notices of hearing received from CIC has been outlined below:

Applications received under RTI Act 2005 in 2020-21

Number of RTI applications received including opening balance as on 31.03.2020	Number of RTI Application replied	Closing balance of RTI Applications as on 31.03.2021
161	154	07

1st appeal received under RTI Act 2005 in 2020-21

Number of appeals received including opening balance as on 31.03.2020	Number of appeals replied	Closing balance of appeals as on 31.03.2021
21	21	0

2nd appeal received under RTI Act 2005 in 2020-21

Number of notices of hearing received from CIC	Number of appearance by CPIO/FAA , EIC
Nil	Nil

5.10.3. Vigilance Activities

Eight (08) complaints received during the period were handled as per CVC guidelines. Disciplinary Proceedings were concluded in 06 cases with imposition of penalty by competent authority. One appeal filed against the decision of Disciplinary Authority was examined and disposed off. Total 65 proposals for vigilance clearance for various purposes were handed. Due to COVID-19 pandemic situation, no Inspection/Surprise Check could be carried out. Investigations-cum- factual Reports on 03 issues were submitted to Department of Commerce. Agreed List and List of Officers with Doubtful Integrity (ODI) were prepared for the organization. Nine (09) suggestions for system improvement were given.

The Export Inspection Council (EIC) along with its Export Inspection Agencies (EIAs) observed the Vigilance Awareness Week 2020 during 27 October- 02 November 2020 as per directions given in Circular No.09/09/2020 dated 08.09.2020 of Central Vigilance Commission. The theme for the year was “सतर्कभारत, समृद्धभारत – **Satark Bharat, Samriddh Bharat – Vigilance India, Prosperous India.**” The Pledge was administered by Shri G.C.Rai, Chief Vigilance Officer, EIC, New Delhi 27th October, 2020 at 11.00 AM through virtual mode and all the officials/staff of EIC/EIAs participated in the same. The message of CVC was also read. For the purpose of Internal Housekeeping Activities in Campaign Mode, information was sought from EIC/EIAs in respect of various activities in a prescribed format and system improvement initiatives were undertaken in the areas wherein gaps are identified. Employees from EIC/EIAs attended the inaugural address by Hon’ble Prime Minister on 27th October 2020 at 5.00 PM during **National Conference on Vigilance and Anti-Corruption organized by CBI.** Essay Competitions at 3 locations, Quiz Competitions at 2 locations and Debate at 1 location were organized. The winners of the competitions were presented mementos

and appreciation certificates. Dr. Rishikesh Rai, Vigilance Officer, Tea Board, Kolkata was invited by EIA-Kolkata on 29.10.2020 to deliver a talk on Vigilance. Some of the photographs are:




VAW-2020 Banners displayed at EIC/EIAs



Employees at EIC/EIAs taking Integrity Pledge on 27th October 2020



Employees at EIC/EIAs attending Hon'ble PM inaugural address on 27th October 2020 at 5.00 PM during National Conference on Vigilance and Anti-Corruption organized by CBI



VAW-2020 Message through Twitter of EIC on 27th October 2020



Dr. Rishikesh Rai, Vigilance Officer, Tea Board, Kolkata delivering talk at EIA-Kolkata on 29th October 2020



Winners of various Competitions being presented Certificate/Mementos during VAW-2020

5.10.4. EIC Council Meetings

The 117th Meeting of Council held virtually on 22nd October 2020 at 11.00 AM under the chairmanship of Shri S. Kishore, Additional Secretary, Department of Commerce and Chairman EIC.

Export Inspection Council is successfully and effectively using the Hindi in official communication. The key highlights of the year are summarized below:

- All documents were issued in bilingual under The Official Languages Act Section 3 (3)
- Provisions issued by the Department of official language, Ministry of Home Affairs, Government of India in the annual program were properly followed
- Export Inspection Council and Agencies organized Hindi Workshops/Departmental Official Language implementation Committee meetings every quarter under the Rules of Official Language
- The incentive plans applicable to the original work in Hindi to Officers/employees were implemented.
- EIC and EIAs progressive use of Hindi reports in all quarter were transmitted on-line to Department of Official Language.
- At the entrance of EIC and EIAs a novel word in Hindi is written daily on the sign board
- During 14-28 September, 2020, Hindi Pakhawada was organized at EIC and EIAs. On the occasion, various competitions like *Shabdawali Pratiyogita*, *Vaad-Vivaad Pratiyogita*, *Hindi Tippadi & Nibandh Pratiyogita* were organized for employees and prizes were awarded to winners.
- Majority of offices are notified by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India under Official Rules, 1976, sub-rule 10 (4) and efforts are being made to notify the rest of offices at Ministry level.
- The Export Inspection Council bi-annually published Hindi Magazine "**Manthan**" to spread the awareness of official language.

- The use of information technology has enabled EIC to achieve greater transparency in its operations and reducing transaction time and manpower costs. Extensive application of IT in the organisation has been credited to the accurate financial reporting and has been linked to the benefits of use of computer systems while generating financial reports e.g. MIS report.
- Computerisation and Networking of all the offices is periodically updated based on the needs.
- EIC maintains its own website www.eicindia.gov.in, on which information relating to its policy and procedures is available. The website is both informative and interactive and on-line filing of applications can be made through the website. Online services, like, Certificate of Origin and e-health certificate are offered through the website. There is a Knowledge Repository section on the website which gives the details of all the legal framework and information about various Certification schemes of EIC.
- Under the CoO module almost 99 percent exporters apply for online certification for all the preferential schemes. EIC has also incorporated a facility of uploading the supporting documents like export invoice, cost breakup sheet etc. along with the online application of CoO. EIC has been extending the support in development of common platform for issuance of CoO (both preferential and non-preferential) for all the Issuing Authorities in India.
- The e-Health certification system is maintained by EIC for application and processing of health certificates.
- All the regulations related to EIC are made available at India code portal (website <https://indiacode.nic.in>).

Ever since its inception, EIC has laid stress on capacity building of its manpower to keep them updated on the dynamics in the food safety across the globe and other key aspects related to the organization's mandate.

Training allows employees to acquire new skills, sharpen existing ones, perform better, increase

productivity and be better leaders. EIC understands that since an organization is the sum total of what employees achieve individually, organizations should do everything in their power to ensure that employees perform at their peak. Keeping this view, year 2020-21 saw EIC nominating officials for National and International trainings, following all COVID-19 protocols.

Table (i): Officers Deputed for International Conference, Meeting and Training

S.No.	Number of the Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration
1	1	Measurement of Uncertainty in food microbiology	Virtual Mode	ISO Technical Committee - ISO/TC34/SC9 Food product Microbiology-Working Group 2	11 January 2021, 01 day
2	1	Harmonization & method validation of E.coli	Virtual Mode	ISO Technical Committee - ISO/TC34/SC9 Food product Microbiology-Working Group 16	16 February 2021, 01 day
3	1	Measurement of Uncertainty in food microbiology	Virtual Mode	ISO Technical Committee - ISO/TC34/SC9 Food product Microbiology-Working Group 2	22 February 2021, 01 day
4	1	Method development, validation & Interlaboratory study design of Clostridium	Virtual Mode	ISO Technical Committee - ISO/TC34/SC9 Food product Microbiology-Working Group 23	24 February 2021, 01 day
5	1	Online Training on Sampling of Food Products for Regulatory Compliance for the officials of Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA)	Virtual Mode	ITCFSAN	03-05 March 2021, 03 days

6	1	Optimization of standard	Virtual Mode	ISO/TC34/SC9 food Microbiology-Working Group 2	16 March 2021, 01 day
7	1	Comparison, Validation	Virtual Mode	ISO/TC34/SC9 food Microbiology-Working Group 118	22 March 2021, 01 day

Table (j): Officers Deputed for National Conference, Meeting and Trainings

Officers Deputed for National Conference and Training: 2020-21					
S.No.	Number Of Officers	Topic / Theme	Venue	Organizers	Duration
EIA Chennai					
1	5	Pesticide residue - Method validation and importing country requirements	Virtual Mode	NABL	17-18 July 2020, 25-26 July 2020; 02 Days each
2	5	Microbiological analysis - Method validation and importing country requirements	Virtual Mode	NABL	17-18 July 2020, 25-26 July 2020; 02 Days each
3	5	Dioxins and PCB - Method validation and importing country requirements	Virtual Mode	NABL	17-18 July 2020, 25-26 July 2020; 02 Days each
4	3	Training on Integrated Assessment as per Importing country and Domestic regulations requirements	Virtual Mode	NABL	18-19 July 2020, 25-26 July 2020; 02 Days each
5	1	Integrated Assessment-Importing Countries and Domestic Regulation Requirements.	Virtual Mode	NABL	25 - 26 July 2020, 02 Days
6	6	Analysis of Rice for Export Trade	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	ITC-FSAN/ EIC/ FSSAI	25 August 2020, 01 Day
7	6	Sampling and analysis of Fish and Fishery Products for Export Trade	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	ITC-FSAN/ EIC/ FSSAI	27 - 28 August 2020, 2 Days
8	2	Analysis of pesticide residues in rice	ITC-FSAN @ PTH Mumbai (Virtual training)	ITCFSAN	02 December 2020, 01 Day
9	1	Virtual training on Role of EIC/ EIA - issuance of COO on Digital Platform	Virtual Mode	FIEO	12 December 2020, 01 Day
10	1	Sensitization Programme for Exporters - Role of EIC/EIA for issuance of Health and COO Certificate	Madurai, TamilNadu	APEDA	19 February 2021, 01 Day

EIA Delhi					
1	2	Training programme (virtual) for laboratories on integrated assessment: Importing countries and domestic regulation requirement	Virtual Mode	NABL	18-19 July 2020, 02 Days
2	1	Training for assessors on integrated assessment: Importing countries and domestic regulation requirement	Virtual Mode	NABL	25-26 July 2020, 02 Days
3	1	Analysis of Rice for export trade conducted on 25 August, 2020 by ITCFSAN and EIC as well as participation of one lab official in the same.	Virtual Mode	ITC FSAN and EIC	25 August, 2020, 01 Day
4	2	Training on online demonstration on sample preparation strategies and methods used for the analysis of aflatoxin in rice	Virtual Mode	ITC FSAN and EIC	03 November, 2020, 01 Day
5	2	Training on online demonstration on sample preparation strategies and methods used for the analysis of pesticide residue in rice .	Virtual Mode	ITC FSAN and EIC	02 December, 2020, 01 Day
6	1	Vigilance Course for Vigilance officer	Virtual Mode	CBI Academy , Ghaziabad	22-26 February 2021 , 05 Days
EIA Kochi					
1	1	Introduction of validation and verification in Chemical & Biological testing	Virtual Mode	NABL	08 June 2020, 1 Day
2	10	Online training programs (virtual) for laboratories on integrated assessment: importing countries and domestic regulation requirements.	Virtual Mode	NABL	18-19 July 2020, 02 Days
3	5	Online training programs for assessors on integrated assessment: importing countries and domestic regulation requirements.	Virtual Mode	NABL	25-26 July 2020, 02 Days
4	2	Online training programs (virtual) on Analysis of Rice for Export Trade.	Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	25 August, 2020, 01 Day

5	1	Online training programs on Sampling and Analysis of Fish and Fishery Products for Export Trade.	Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	27 - 28 August 2020, 02 Days
6	2	Online demonstration Training on "Sample Preparation Strategies & Methods Used for the Analysis of Aflatoxins in Rice"	Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	03 November,2020, 01 Day
7	1	Need and various aspects of food testing & notified NABL, Referral and Reference Labs in India- Training for Master Trainers on Meat and Poultry Processing	Virtual Mode	ICAR - National Research Centre on Meat	06 January, 2021, 01 Day
8	1	Webinar on Challenges in Analysis of Banned Vet Drugs in Food of Animal Origin	Virtual Mode	Jointly organized by AOAC India and ITCFSAN	02 March, 2021 , 1 Day
EIA Kolkata					
1	2	Online training programs for laboratories on integrated assessment: importing countries and domestic regulation requirements.	Virtual Mode	NABL	18-19 July 2020, 02 Days
2	1	Online training programs for assessors on integrated assessment: importing countries and domestic regulation requirements.	Virtual Mode	NABL	25-26 July 2020, 02 Days
3	2	Analysis of Rice for export trade conducted on 25 August, 2020 by ITCFSAN and EIC as well as participation of one lab official in the same.	Virtual Mode	ITC FSAN and EIC	25 August, 2020, 01 Day
4	2	Online training programs on Sampling and Analysis of Fish and Fishery Products for Export Trade.	Virtual Mode	ITC-FSAN, Mumbai	27 - 28 August 2020, 02 Days
5	2	Training on online demonstration on sample preparation strategies and methods used for the analysis of pesticide residue in rice .	Virtual Mode	ITC FSAN and EIC	02 December, 2020, 01 Day
6	2	Test methods for food products sectional committee, FAD 28	Virtual Mode	Bureau of Indian Standards (BIS), Food & Agriculture Development	22 December, 2020, 01 Day
7	2	Online session on challenges in analysis of Banned Vet drugs in Food of Animal Origin	Kolkata	ITC-ISAN, Mumbai	2 March, 2021, 01 Day
8	3	PTP conclave as per ISO 17043	Virtual Mode	NABL	23 March, 2021,01 Day

EIA Mumbai					
1	2	Online Demonstration on Sample Preparation Strategies and Method used for the Analysis of Aflatoxin in Rice	Virtual Mode	EIA-Mumbai	03 November, 2020, 01 Day
2	1	Legal Requirements for Dairy Industries for Export Promotion during National Webinar on National Milk Day	Virtual Mode	Mumbai Veterinary College	25 November, 2020, 01 Day

Table (k): Outreach programs for Exporters

Outreach Programmes for Exporters during 2020-21			
S.No.	Program Name	Date	Location
1	Training on Fish and Fishery Products Scheme	11.07.2020	Virtual Mode, Mangalore
2	Listing of establishment in website of Department of Animal Health, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam.	14.07.2020	Virtual Mode, Mangalore
3	Listing of establishment on website of SFDA- Saudi Food and Drug Authority	05.08.2020	Virtual Mode, Mangalore
4	Issues related to listing of Fishery establishments on General Administration of Customs (GACC) P.R. China.	20.10.2020	Virtual Mode, Mangalore
5	Meeting with Seafood Trade to discuss the issue of health certificate	13.11.2020	Kochi
6	EIA-Veraval : Sampling Techniques of Fish & Fishery Products	25.11.2020	Veraval
7	e-Procurement of Goods and Services, and related GOI Financial Rules	16-12-2020	Veraval
8	History of Seafood Export & Role of EIC in Export	20-12-2020	Veraval
9	Overview in Control of Fish & Fishery Products by Central authority	21.12.2020	Virtual Mode, Mumbai
10	TOLIC for Hindi implimentation and Income tax department at Kochi –Emerging dimensions of Official language implementation and IT tools for Hindi	17.02.2021-18.02.2021	Virtual Mode, Kochi
11	Executive Instruction Awareness Programme for Technologist of Approved Milk & Milk Products Establishments.	10.03.2021	Virtual Mode, Delhi
12	Training for Technologists of Approved Honey Establishments regarding implementation of requirements of Executive Instruction	11.03.2021	Virtual Mode, Delhi
13	Training for Technologists on GACC Requirements for Fish & Fishery Products, Complaint handling procedure and Health Certificate Requirements.	17.03.2021	Visakhapatnam
14	Hindi Workshop by Sh. Ramachandran Nambiar, Deputy Director, Department of Income Tax and Secretary, TOLIC , Kochi	25.03.2021	Virtual Mode, Kochi
15	Joint Session of EIA and FIEO on REX Registration for the Export Community	25.03.2021	Virtual Mode, Kochi

The work of quality control, inspection, monitoring, testing and certification of commodities for export is carried out by Export Inspection Agency (EIA) located at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Kochi which operates under technical & administrative control of Export Inspection Council, New Delhi. The EIAs have a network of 24 Sub Offices including laboratories at important ports and industrial centres of India. The EIAs are playing a vital role to facilitate the country's export from last five decades through its qualified and experienced, personnel.

9.1 Export Inspection Agency–Chennai

The Export Inspection Agency– Chennai operates within the jurisdiction of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry having a network of 7 sub offices at Bhimavaram, Coimbatore, Hyderabad, Nagercoil, Nellore, Tuticorin and Visakhapatnam.

Export Inspection Agency– Chennai is handling major activities like –

- Official control of establishments approved under Fish & Fishery products, Poultry meat & Poultry meat products, Egg products, milk products, Fruit products, Black pepper, feed additives & pre- mixtures, etc.
- Consignment wise inspection for export of dried fish, Honey, black pepper, Peanut & Peanut products etc.
- Certification of units under voluntary scheme, as well as under Turkey Scheme.

- Provision of issuance of CoO under REX and different FTAs like GSP, SAPTA, ISFTA, ITFTA, etc.
- Testing of different commodities in EIA laboratories at Chennai and at Sub-Offices.
- Testing of imported food products as nodal laboratory recognized by FSSAI.

The Coastal Aquaculture Authority (CAA) has recognized EIA-Chennai laboratory for testing of various Aquaculture input products for detecting prohibited substances before registration of the aqua inputs. Drug Control Administration, Government of Andhra Pradesh has recommended EIA-Chennai laboratory as Notified laboratory for testing of various aquaculture inputs used in fish and fishery sector, especially to test for prohibited substances as required under Section 20(1) & Section 20(3) of Drugs and Cosmetics Act 1940.

9.2 Export Inspection Agency–Delhi

Export Inspection Agency–Delhi exercises its jurisdiction over the entire Northern and Central Region of the country covering the states of J&K, Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Madhya Pradesh and has its offices in Jalandhar, Ludhiana, in the northern region; Kanpur in the North Central Region; Jaipur in North Western region; Indore in Central Region. The EIA is involved in regulatory control over approved units of Basmati Rice, Milk Products, Honey, Animal Casings apart from Feed Additives and Premixtures. The Laboratory of EIA Delhi for Basmati Rice testing is ISO 17025:2017 Certified.

9.3 Export Inspection Agency – Kochi

The major products handled by EIA Kochi include Fish & Fishery Products (F&FP) and black pepper. EIA Kochi is providing its services of approval and monitoring of the F & FP, black pepper, and other food products like spices, etc. under voluntary certification scheme. EIA Kochi is having the NABL accredited laboratory facility for Non-GMO on the basis of which Non GMO certificates are issued by all EIAs.

9.4 Export Inspection Agency-Kolkata

Export Inspection Agency-Kolkata provides export certification for notified products and food products under voluntary scheme. It also issues preferential certificates of origin as per the Preferential and free trade agreements.

9.5 Export Inspection Agency-Mumbai

EIA Mumbai is having jurisdiction over Maharashtra, Gujarat and Goa with Sub Offices located at Mumbai, Ratnagiri, Goa, Ahmedabad, Rajkot, Gandhidham, Porabandar and Veraval.

Besides issuance of certificate of origin under various preferential tariff schemes, EIA-Mumbai also issues Health certificates for different export commodities including processed fruit products, Milk products, Fish and Fishery Products, Crushed Bones, Ossein and gelatine, Animal Casings, Black Pepper, Feed additives and Pre-mixtures, and other food products etc. Online submission of details for issuance of Certificate of Origin is emphasized to exporters.

EIC & EIA ADDRESSES AND CONTACT NUMBERS

I. Export Inspection Council

(Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India)

Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India,
2nd Floor, B-Plate, Block-1, Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi -110023
Tel: +91 - 11 - 20815386/87/88
E - Mail: eic@eicindia.gov.in

II. Export Inspection Agencies and their Sub Offices

Export Inspection Agency- MUMBAI (Head Office)

E - 3, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai, Pin: 400093, Maharashtra
Tel: +91-22-2363 0311 / 2363 0312 / 2363 0113 Fax: +91-22-23683927
E - Mail: eia-mumbai@eicindia.gov.in

Sub-offices

Export Inspection Agency- Mumbai Sub Office: AHMEDABAD

305, Multi Purpose Sports Complex (opp-New Cloth Market) Raipur, Ahmedabad, Pin: 380002, Gujarat,
Tel: +91-79-2216 2398 Fax: +91-79-2216 2398
E - Mail: eia-ahmedabad@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GANDHIDHAM

Room No. F-01, F-02, Old Administrative Office, Kandla Special Economic Zone, GANDHIDHAM, Pin: 370230, Gujarat
Tel: +91-2836-253036. Fax: +91-2836-220 836
E - Mail: eia-gandhidham@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: GOA

Y-15,5th Floor, Building A-1, Jairam Complex, Rua De Ourem, Mala Panaji, Pin: 403001, GOA
E - Mail: eia-go@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: PORBANDAR

4, Bhojeswar Plot, Porbandar, Porbandar, Pin: 360575, Gujarat
Tel: +91-286-2246 376 Fax: +91-286-2246 376
E - Mail: eia-porbandar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RAJKOT

Sharad Villa, 25, New Jagnath Plot, RAJKOT, Pin: 360001, Gujarat
Tel: +91-281-2463 620 Fax: +91-281-2463 620
E - Mail: eia-rajkot@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: RATNAGIRI

Sahil Mansion, Shivaji Nagar, Maruthi Mandir, RATNAGIRI, Pin: 415612, Maharashtra
Tel: +91-235-2222589 Fax: +91-235-2222589
E - Mail: eia-ratnagiri@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: VERAVAL

1st Floor, Jaikishan Complex, 80 Feet Road, New Chandramauleshwar Temple, VERAVAL, Pin: 362265, Gujarat
Tel: +91-2876-220610 Fax: +91-2876-220610
E - Mail: eia-veraval@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- MUMBAI Sub Office: BARODA

Kuber Bhavan, Rook No.-824, 'I' Block, 8th Floor, Near Kothi, BARODA, Pin: 390001, Gujarat
Tel: +91-265-2415706 Fax: +91-265-2415706
E - Mail: eia-baroda@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION AGENCY-KOLKATA

Export Inspection Agency- KOLKATA (Head Office)

World Trade Centre, 14 /1B Ezra Street, KOLKATA, Pin: 700001, West Bengal
Tel: +91-33-22355004 / 22352651 / 22352652 Fax: +91-33-22354562
E - Mail: eia-kolkata@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOLKATA- Lab

Space 101, (First Floor), Southend Conclave, 1581,Rajdanga Main Road, Kolkata-700107
E-mail: eia-kolkatalab@eicindia.gov.in

Sub-offices**Export Inspection Agency- KOLKATA Sub Office: BHUBANESWAR**

IDCO Plot No. 45/A/1, Chandaka Industrial Estate- Patia BHUBANESWAR, Pin: 751 024, Odisha

Tel: + 91-674-2975868

E - Mail: eia-bhubaneswar@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION AGENCY-KOCHI**Export Inspection Agency- KOCHI (Head Office)**

27/1767 A, Shipyard Quarters Road, Panampilly Nagar (South), KOCHI, Pin: 682036, Kerala

Tel: + 91-484 -2314645 / 2316946 / 2316949

Fax: + 91-484-2316948

E - Mail: eia-kochi@eicindia.gov.in

Sub-offices:**Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: BANGALURU**

2nd Floor, JEEVAN SAMPIGE, Building, No.1/1, 2nd Main, Sampige, Road, Malleswaram, BANGALORE, Pin: 560003, Karnataka

Tel: + 91-80-23444931 / 23567556

E - Mail: eia-bangalore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: QUILON

First Floor of Coaxial Building (Building No XLIII/948) Chinnakada, Kollam -690 001, Kerala

Tel: +91-474-2749087 Fax: +91-474-2749087

E - Mail: eia-quilon@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- KOCHI Sub Office: MANGALORE

School Book Building-3rd floor, temple, Square, Car Street, MANGALORE, Pin: 575001, Karnataka

Tel: +91-824-2496813 Fax: +91-824-2496 813

E - Mail: eia-mangalore@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION AGENCY-DELHI**Export Inspection Agency- DELHI (Head Office),**

Thakkar Bapa Smarak Sadan, 2nd floor, DR. Ambedkar Marg, (Link Road) (Behind Jhandewalan Metro Station), Pin: 110055, Delhi

Tel: +91-11-23626320/21/22/23/24/25/26/27 Fax: +91-11-23626328

E - Mail: eia-delhi@eicindia.gov.in

Sub-offices:**Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: INDORE**

303, Capt. C.S. Nayudu Arcade 10 /2, Old Palasia, Indore, INDORE, Pin: 452 001, Madhya Pradesh

Tel: +91-731-2566057

E - Mail: eia-indore@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JAIPUR

201-202, Tirupati Trade Centre, 4, Sansar Chandra Road, Jaipur, JAIPUR, Pin: 302 001, Rajasthan

Tel: +91-141-2366 973 Fax: +91-141 - 2366 973

E - Mail: eia-jaipur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: JALANDHAR

320, W. G. T. Road, Basti Adda Jalandhar, JALANDHAR, Pin: 144 001, Punjab

Tel: +91-181-2403424 Fax: +91-181-2403 424

E - Mail: eia-jalandhar@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency-DELHI Sub Office: KANPUR

MD Plaza, 38 / 105, Meston Road (2nd floor), Near Bada Chuwraha, Kanpur, KANPUR, Pin: 208 001, Uttar Pradesh

Tel: +91-512-2369 927 Fax: +91-512-2369 927

E - Mail: eia-kanpur@eicindia.gov.in

Export Inspection Agency- DELHI Sub Office: LUDHIANA

First floor, SCO 17 (Near NRI police station) sector 39, Chandigarh road, LUDHIANA, Punjab Pin: 141010, Tel: 0161 - 2410 083, Fax: 0161 - 2410 083

E - mail: eia-ludhiana@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION AGENCY-CHENNAI**Export Inspection Agency- CHENNAI (Head Office)**

6th. Floor CMDA Tower II, No. : 1 Gandhi Irwin Road, Egmore, CHENNAI, Pin: 600008, Tamil Nadu

Tel: +91-44-28552841 / 42 Fax: +91-44-28552840
E - Mail: eia-chennai@eicindia.gov.in

Sub-offices:

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
BHIMAVARAM**

Door No: 7-150, Second Floor Venkataraju Nagar
Chinnamiram Juvallapalem Road, West Godavari
District, Bhimavaram, Pin: 534204, Andhra Pradesh
Tel: +91-8816-229075 Fax: +91-8816-229075
E- mail:- eia-bheemavaram@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
COIMBATORE**

Isr Floor, North Wing, Jawan Bhavan, No.27,
Travellers Bungalow Road, Coimbatore, Pin: 641018,
Tamil Nadu
Tel: +91-422-2393365 Fax: +91-422-2233365
E - Mail: eia-coimbatore@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
HYDERABAD**

No. 903, 9th floor, Raghava Ratna Towers, Chirag,
Ali Lane, Hyderabad, Pin: 500018, Andhra Pradesh
Tel: +91-40-23712224 Fax: +91-40-23202224
E - Mail: eia-hyderabad@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
NAGERCOIL**

75-A, Court Road, Sankar Building, NAGERCOIL, Pin:
629001, Tamil Nadu
Tel: +91-465-232704 Fax: +91-4652-2327 04
E - Mail: eia-nagercoil@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
TUTICORIN**

No. 271, Aishwariya Towers, Sivanthakulam Road,
TUTICORIN, Pin: 628003, Tamil Nadu
Tel: +91-461-232061 Fax: +91-461 -2339182
E - Mail: eia-tuticorin@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
VISAKHAPATNAM**

D.No. 43-18-10/4, T.S.N. Colony, 3rd Floor, Hero Honda
Show Room, Visakhapatnam, Pin: 530016, Andhra
Pradesh
Tel: +91-891-2747141 Fax: +91-891 - 2747141
E - Mail: eia-vizag@eicindia.gov.in

**Export Inspection Agency- CHENNAI Sub Office:
NELLORE**

3rd Floor, South Wing, G.K.Imperial Towers, Door
No. 23, Plot No. 468, Kings Court, Magunta Layout,
Nellore, Pin: 524003, Andhra Pradesh
Tel: +91-861-359900 / +91-861-2354400
E - Mail: eia-nellore@eicindia.gov.in



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

दूसरी मंजिल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, भारत

दूरभाष : 011-20815386 / 87 / 88

वेबसाई : www.eicindia.gov.in ई-मेल : eic@eicindia.gov.in

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

2nd Floor, B-Plate, Block-1, Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023, India

Phone : +91-11-20815386 / 87 / 88

E-mail : eic@eicindia.gov.in, Website : www.eicindia.gov.in